राजस्थान सरकार

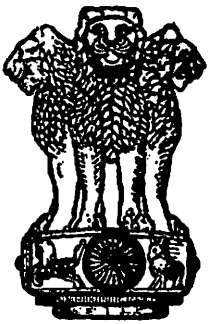

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971

(अधिनियम सं. 12, सन् 1971)

एवम्

राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971

मूल्य : 10 रुपये

www.vinoba.in

प्रकाशक :

राजस्थान भूदान-ग्रामदान बोर्ड
किशोर निवास, त्रिपोलिया बाजार,
जयपुर - 302 002

तृतीय आवृत्ति 1000
संशोधित संस्करण
मार्च 1998 तक

मुद्रक : जी० पी० प्रिन्ट्स, जयपुर
टाइप सैटिंग : अमरज्योति कम्प्यूटर्स, जयपुर
www.vinoba.in

राजस्व (ख) विभाग

जयपुर, अगस्त 7, 1971

संख्या प. 7 (6) विधि/71 :—राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 1971 ई. को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971

(अधिनियम संख्या 12, सन् 1971)

(राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 1971 को प्राप्त हुई)

आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाये गये ग्रामदान आन्दोलन के अनुसरण में ग्रामदान ग्रामों की स्थापना, उनके लिये ग्राम सभाओं के गठन तथा तत्संसक्त मामलों से सम्बद्ध विधि को संशोधित और पुनः अधिनियमित करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :—(1) यह अधिनियम राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं :—(1) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "वयस्क व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है;

(ख) "भूदान" से अभिप्रेत है भूदान बोर्ड को किया गया किसी भूमि का दान;

(ग) "भूदान बोर्ड" से अभिप्रेत है राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम 16, सन् 1954) की धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड,

www.vinoba.in

(घ) "सभापति" से अभिप्रेत है राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम 16, सन् 1954) की धारा 4 के अधीन नियुक्त भूदान बोर्ड का सभापति तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन सभापति के समस्त या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(ङ) "सामान्य भूमि" से अभिप्रेत है किसी ग्राम या ग्रामों के सामान्य प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त या उपयोग के लिये आरक्षित भूमि;

(च) "ग्रामदान" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उसके उपबन्धों के अनुसार स्वेच्छा से किया गया किसी भूमि का दान;

(छ) "ग्रामदान किसान" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन ग्रामदान किसान के रूप में भूमि धारण करता है तथा उसमें उसके उत्तराधिकारी और हित उत्तरजीवी सम्मिलित हैं;

(ज) "ग्रामदान ग्राम" से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन ग्रामदान ग्राम के रूप में अधिसूचित ग्राम;

(झ) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है धारा 13 के अधीन गठित ग्राम सभा;

(ञ) "परिवार का मुखिया" से अभिप्रेत है परिवार जो एक ही घर में एक ही मुखिया या प्रबन्ध के अधीन रह रहे व्यक्तियों का सामूहिक निकाय है का, भारसाधक व्यस्त व्यक्ति और इसमें संयुक्त हिन्दू-परिवार का कर्ता सम्मिलित है;

(ट) किसी भूमि के सम्बन्ध में "धारक" से अभिप्रेत है कोई खातेदार या गैर-खातेदार अभिधारी और जहां भूमि उप-पट्टे पर उठाई हुई है या बन्धकाधीन है, वहां उससे अभिप्रेत है मुख्य अभिधारी और उप-अभिधारी तथा बन्धककर्ता और बन्धकदार, यथास्थिति, संयुक्त रूप में;

(ठ) "पंचायत" से अभिप्रेत है राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (राजस्थान अधिनियम 21, सन् 1958) के उपबन्धों के अधीन स्थापित पंचायत;

(ड) किसी भूमि के सम्बन्ध में "हितधारी व्यक्ति" से अभिप्रेत है भूमि में किसी अधिकार, स्वत्व या हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति तथा उसमें ऐसी भूमि पर सुखाचार का कोई अधिकार रखने वाला सम्मिलित है;

www.vinoba.in

(ढ) "निहित" से सिवाय जहां शब्द "विनियमों द्वारा विहित" प्रयुक्त हुए हैं, अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ण) "विनियम" से अभिप्रेत है ग्राम सभा द्वारा धारा 50 के अधीन बनाया गया कोई विनियम;

(त) "निवासी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो मामूली तौर से किसी गाँव में रहता है और उसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसका कि उस गांव में कोई निवास गृह है वह अन्य स्थान पर अपने नियोजित होने या अन्यथा काम करने के कारण कभी कभी रहता है; तथा "रहने" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा; और

(थ) "ग्राम" से अभिप्रेत है राजस्व अभिलेखों में इस रूप में प्रविष्ट कोई गाँव तथा उसमें उक्त ग्राम का ऐसा कोई संहत भाग जिसमें बस्तियों का संगुच्छन (Cluster) है, सम्मिलित है, जो चाहे कोई झोंपा (हेमलेट) थोक, पट्टी, ढाणी, पुर, बास, नागला या इसी प्रकार की किसी या अन्य अभिव्यक्ति द्वारा सम्बोधित किया जाता है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे जो राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3 सन् 1955) में उनके लिये, जैसा संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो, क्रमशः समनुदिष्ट किये गये हैं ।

3. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख की ओर से राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1960 (राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1960) निरसित हो जायगा ।

(2) राजस्थान ग्रामदान अध्यादेश, 1971 (राजस्थान अध्यादेश 4 सन् 1971) का अवसान होने पर भी उक्त अध्यादेश और उसके अधीन की गई या की हुई समझी गई कोई बात या की गई या की हुई समझी गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई या की हुई समझी जायेगी ।

(3) उप-धारा (2) के उपबन्ध, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 8, सन् 1955) के उपबन्धों पर, जो उप-धाराओं (1) और (2) में वर्णित विधियों के निरसन और अवसान पर क्रमशः लागू होंगे, कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेंगे ।

4. अधिनियम अध्यारोही प्रभाव रखेगा :—तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावशील होंगे :

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1955) के अध्याय 3 (ख) के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

अध्याय 2

ग्रामदान बोर्ड

5. ग्रामदान बोर्ड :—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भूदान बोर्ड, राजस्थान ग्रामदान बोर्ड होगा जिसे एतस्मिन्पश्चात् ग्रामदान बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

6. ग्रामदान बोर्ड के कर्त्तव्य :—(1) ग्रामदान बोर्ड का राजस्थान में ग्रामदान अभियान को प्रोन्नत करना और उसके प्रयोजनार्थ—

(क) इस अधिनियम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और ग्रामदान गांवों में उन्हें समनुदिष्ट करना;

(ख) ग्रामसभाओं का, उनके कर्त्तव्यों के समुचित निर्वाह करने में मार्गदर्शन करना;

(ग) ग्रामदान गांवों के विकास का अध्ययन करना तथा उसमें सामान्य अनुभव का मूल्यांकन करना; और

(घ) ग्रामदान गांवों से संसक्त विधिक तथा अन्य औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करना;

कर्त्तव्य होगा ।

(2) ग्रामदान बोर्ड ऐसे कर्त्तव्यों का भी पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समनुदेशित किये जा सकेंगे ।

7. बैठकें :—किसी बैठक का समय, बैठने का स्थान, कारोबार संचालन और प्रक्रिया जिसका उसमें अनुसरण किया जायगा ग्रामदान बोर्ड के विवेकाधीन होगी, तथा ग्रामदान बोर्ड उनके लिये विनियम बना सकेगा ।

अध्याय 3

ग्रामदान गांव

8. भूमियों को ग्रामदान के रूप में स्वेच्छया अन्तरित करने की घोषणा :—(1) भूमि का कोई धारक जो अप्राप्तवय नहीं है, सभापति के समक्ष विहित प्रपत्र में एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि वह दान करता है अर्थात्

www.vinoba.in

स्वेच्छा तथा बिना कोई प्रतिफल प्राप्त किये ग्रामसभा को जो एतस्मिन पश्चात् रूप में गठित की जायगी, उस गांव में घोषणा में विनिर्दिष्ट अपनी समस्त भूमियाँ ग्रामदान् के रूप में अन्तरित करने का करार करता है :-

परन्तु जहां कोई धारक गांव में अपनी भूमियों में से किन्हीं को भूदान के रूप में अन्तरित कर चुका है वहां यह उप-धारा इस प्रकार प्रभावशील होगी मानो कि इस प्रकार अन्तरित भूमियां उसकी भूमियों के कुल क्षेत्रफल में सम्मिलित थीं :

परन्तु और कि दानकर्ता ग्रामदान किसान के रूप में स्वयं द्वारा कृषि करने के लिये धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन आवण्टन के लिए अपनी पसन्द की भूमि विनिर्दिष्ट कर सकता है जो कि इस प्रकार दान की गई कुल भूमि के 19/20वें प्रभाग से अधिक न हो, तथा शेष भूमि का जो उसकी कुल भूमि के 1/20वें प्रभाग से कम न हो, भूमिहीन व्यक्तियों के लाभ के लिये ग्राम के भू-पूल में अभिदाय कर सकेगा;

तथा यह और भी कि ग्रामदान किसान के रूप में स्वयं द्वारा धारण योग्य भूमियाँ विनिर्दिष्ट करते समय दानकर्त्ता ऐसी भूमियां विनिर्दिष्ट करेगा जो किन्हीं विल्लंगमों के अधीन है ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक घोषणा में यह वचन देना भी अन्तर्विष्ट किया जायगा कि धारक—

(1) ग्रामदान गाँव के ग्रामदान-समुदाय में सम्मिलित होगा; तथा

(2) ग्रामदान किसान के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि की उपज के चालीसवें भाग का या उपज के ऐसे अन्य भाग का जो ग्रामसभा नियत करे, या उसके नकद मूल्य का ग्रामनिधि में प्रति वर्ष अभिदाय करेगा ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कोई घोषणा तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि वह—

(क) सह-अभिधारियों के रूप में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि की दशा में ऐसे समस्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप में नहीं की गई है;

(ख) किसी गैर-खातेदार अभिधारी द्वारा धृत भूमि की दशा में, उस जिले के कलेक्टर की जिसमें कि भूमि स्थित है पूर्वानुज्ञा से नहीं की गई है; तथा

(ग) बन्धकाधीन भूमि की दशा में बन्धककर्ता और बन्धकदार द्वारा संयुक्त रूप में नहीं की गई है ।

www.vinoba.in

(4) उप-धारा (1) के अधीन कोई घोषणा या तो व्यक्तिशः या संयुक्त रूप में की जा सकती है ।

9. कोई भूमि धारण न करने वाले परिवार के मुखिया द्वारा ग्रामदान-समुदाय में सम्मिलित होने की घोषणा—(1) किसी गांव में रहने वाले परिवार का मुखिया जो उस (गांव) में कोई भूमि धारण नहीं करता है, सभापति के समक्ष विहित प्रपत्र में—

(1) उस गांव के ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित होने; तथा

(2) ग्राम निधि में अपनी शुद्ध आय के चालीसवें भाग के बराबर या उसका ऐसा अन्य अंश, जो ग्रामसभा नियत करे सामयिक अभिदाय करने; के लिये वचन देते हुए घोषणा-पत्र फाइल कर सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन घोषणा वैयक्तिक रूप में या सामूहिक रूप में की जा सकेगी ।

10. घोषणा का प्रकाशन तथा अन्वेषण—(1) सभापति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन घोषणा प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उसे विहित रीति से प्रकाशित करेगा, उसे विहित रीति से सत्यापित करने के लिए आवश्यक जांच करेगा तथा या तो उसकी पुष्टि करेगा या उसकी पुष्टि करने से इन्कार करेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सभापति द्वारा किये गये आदेश से परिवेदित कोई व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसे अपील प्राधिकारी को जो विहित किया जाय, अपील कर सकेगा तथा अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अध्यधीन उक्त आदेश अन्तिम होगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी घोषणा की पुष्टि करने से इन्कार करने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि घोषणा करने वाले व्यक्ति को घोषणा की पुष्टि करने से ऐसा इन्कार करने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है ।

(4) घोषणा जिसकी सभापति ने, आदेश द्वारा, उप-धारा (1) के अधीन पुष्टि करने से इन्कार कर दिया है, जब तक ऐसी घोषणा की उप-धारा (2) के अधीन अपील में पुष्टि न की जाय, प्रभावशील नहीं होगी ।

11. गांव की ग्रामदान गांव के रूप में घोषणा :—(1) जहाँ कहीं किसी गांव में—

(क) भूमियां, जिनके सम्बन्ध में धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन फाइल की गई घोषणाएं पुष्ट कर दी गई हैं, का क्षेत्रफल उस

www.vinoba.in

गांव में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा धृत भूमियों के कुल क्षेत्रफल के इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनकी घोषणाएं इस प्रकार पुष्ट कर दी गई हैं उस गांव में भूमि धारण करने वाले और रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं हैं;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके सम्बन्ध में धारा 8 और 9 के अधीन की गई घोषणाएं पुष्ट कर दी गई हैं, उस गांव में रहने वाले भूमिधारियों और परिवार के मुखिया जो भूमि धारण नहीं करते हैं, की संख्या के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं है ।

तो सभापति समस्त संसक्त कागज तथा अपनी राय कि आया वह गांव ग्रामदान गाँव घोषित किया जाना है या नहीं समस्त घोषणाएं उस जिले, जिसमें वह गांव स्थित है, के कलेक्टर को भेज देगा तथा कलेक्टर ऐसी जांच, जैसी वह ठीक समझें, करने के पश्चात् विहित रीति में अधिसूचना द्वारा उस गांव को उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से ग्रामदान गांव होना घोषित कर सकेगा ।

(2) यदि कलेक्टर उस गांव को ग्रामदान गांव होना घोषित करने से इन्कार कर देता है तो सभापति ऐसे गांव को ग्रामदान गांव होना घोषित करने के लिए राज्य सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगा, और राज्य सरकार, अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि उप-धारा (1) में बताई गई शर्तें सारतः पूरी की जा चुकी हैं उस गांव को ग्रामदान गांव होना घोषित करने के लिए कलेक्टर को निदेश दे सकेगी तथा राज्य सरकार का यथापूर्वोक्त रूप में समाधान न होने की दशा में, वह उस गांव को ग्रामदान गांव घोषित करने से इन्कार करते हुए आदेश जारी कर सकेगी और उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध, केवल क्लेक्टर या राज्य सरकार के किसी गांव को ग्रामदान गांव गोषित करने से इन्कार करते हुए कोई विशिष्ट आदेश जारी होने पर ही प्रवृत्त होंगे ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति गांव में प्रमुख स्थान पर सम्प्रदर्शित की जायेगी तथा उस तहसीलदार, सब-डिविजनल ऑफिसर और कलेक्टर, जिनकी अधिकारिता के भीतर वह गाँव स्थित है, के कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर भी चिपकाई जायेगी और ऐसी प्रत्येक अधिसूचना का सार विहित रीति से प्रकाशित भी किया जायेगा ।

(4) जहां किसी गांव को ग्रामदान गांव घोषित नहीं किया जाता है वहां धारा 8 या धारा 9 के अधीन प्रत्येक घोषणा, इस बात के होते हुए भी कि वह पुष्ट कर दी गई थी, प्रभावहीन हो जायेगी ।

12. **भूमियों के अन्तरण पर प्रतिरोध**—(1) जब तक कि धारा 10 के अधीन घोषणा की पुष्टि करने से इन्कार करने वाला कोई आदेश अन्तिम न हो

www.vinoba.in

चुका है या ऐसे गांव को जिसमें वह भूमि स्थित है, ग्रामदान गांव होने के लिए अनर्ह घोषित करते हुए धारा 11 के अधीन आदेश नहीं दिया जाता है, जो भी पहले हो, कोई व्यक्ति ऐसे किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा जिसके सम्बन्ध में कि कोई घोषणा फाइल की जा चुकी है।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया कोई भी अन्तरण शून्य होगा।

अध्याय 4

ग्रामसभा का गठन और कार्य

13. **ग्रामसभा का गठन** :—(1) किसी गांव को ग्रामदान गाँव होना घोषित करते हुए धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से, ऐसे समस्त व्यक्ति जिनके नाम धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्टर में अन्तर्विष्ट हैं उस ग्रामदान गांव के लिये ग्रामसभा का गठन करने वाले समझे जायेंगे और ग्रामसभा को ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी तथा वह ऐसे समस्त कृत्यों का निर्वहण करेगी जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अथवा अन्यथा, उसमें निहित की जायें या उसको प्रदान किये जायें।

(2) इस प्रकार स्थापित प्रत्येक ग्रामसभा ".....की ग्राम सभा" के नाम से, शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त तथा अपनी सामान्य मोहर (सील) सहित एक निगमित निकाय होगी जिसे संविदा करने का, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को, चाहे वे उस ग्रामदान गांव जिस पर वह प्राधिकार रखती हैं की सीमाओं के भीतर या बाहर स्थित हो,, अर्जित करने, धारण करने, प्रशासित या व्ययनित करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

14. **सदस्यों का रजिस्टर** :—(1) जब तक उप-धारा (2) के अनुसार कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया जाता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गई राजस्थान विधान सभा की मतदाता सूची जो विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे भाग के लिये है जो कि उस ग्रामदान गांव में सम्मिलित है, ऐसे ग्रामदान गांव के लिए ग्रामसभा के सदस्यों का रजिस्टर होना समझी जायगी। रजिस्टर में उन लोगों के नाम भी सम्मिलित किये जायेंगे जिन्होंने अपनी भूमियां ग्रामदान स्वरूप दान की है किन्तु जो ग्रामदान गांवों में नहीं रहते हैं।

(2) धारा 15 के अधीन कार्यपालिका समिति बनाये जाने के तीन माह के भीतर उप-धारा (1) में वर्णित रजिस्टर कार्यपालिका समिति द्वारा पुनरीक्षित

www.vinoba.in

किया जायेगा तथा अद्यतन बनाया जाएगा और तत्पश्चात् वह प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में विहित रीति से पुनरीक्षित किया जाएगा ।

परन्तु यदि किसी कारणवश रजिस्टर को इस प्रकार पुनरीक्षित नहीं किया जाता है तो उससे रजिस्टर की विधि मान्यता या सतत प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) कार्यपालिका समिति रजिस्टर में किसी वर्तमान प्रविष्टि के सुधार करने के लिये उसे आवेदन दिया जाने पर, ऐसी जांच जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात् यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह प्रविष्टि आवेदक से सम्बन्धित है तथा किसी विवरण के बारे में गलत या त्रुटिपूर्ण है तो प्रविष्टि को तदनुसार संशोधित कर देगी ।

(4) कोई व्यक्ति जिसका नाम उपरोक्त रजिस्टर में सम्मिलित नहीं है कार्यपालिका समिति को रजिस्टर में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन दे सकेगा, तथा कार्यपालिका समिति, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार है, तो उसमें उसका नाम सम्मिलित कर लेगी ।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में है, ग्रामसभा की बैठक में मत देने के लिए अर्ह होगा, परन्तु (बशर्ते कि) वह ग्रामसभा द्वारा विकृत मस्तिष्क का होना नहीं समझा जाता हो ।

(6) सदस्यों का रजिस्टर इस धारा के अधीन यह अवधारित करने के लिए निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि आया कोई व्यक्ति ग्रामसभा को किसी बैठक में मत देने के लिये अर्ह है या अर्ह नहीं है ।

15. **ग्रामसभा की कार्यपालिका समिति और अध्यक्ष** :—(1) प्रत्येक ग्रामसभा अपनी स्वयं की एक कार्यपालिका समिति गठित करेगी जिसमें सदस्यों की ऐसी संख्या होगी जो पांच से कम न हो, जैसी ग्रामसभा अवधारित करें ।

(2) कार्यपालिका समिति के सदस्य ग्रामसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही विहित रीति से चुने जायेंगे ।

(3) कार्यपालिका समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनेगी जो ग्रामसभा के सभापति के रूप में जाना जावेगा, वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जायें ।

(4) कार्यपालिका समिति ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहण करेगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो विहित की जायें ।

16. **अन्य समितियां** :—(1) ऐसे नियंत्रण तथा निबन्धनों के अध्यधीन जैसे विनियमों द्वारा विहित किये जायें, कोई ग्रामसभा–

www.vinoba.in

(क) ग्रामसभा की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहण करने के लिए जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें अन्य स्थायी समितियां,

(ख) ऐसे किसी मामले, जिसे ग्रामसभा उन्हें विनिर्दिष्ट करे, की जांच करने या प्रतिवेदन देने तथा उस पर सलाह देने के लिए तदर्थ समितियां, गठित कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समितियां विनियमों द्वारा विहित रीति में गठित की जावेगी तथा ऐसे कारणों से तथा ऐसी रीति में विघटित या पुनर्गठित की जा सकेगी जो विनियमों द्वारा विहित की जायें ।

17. ग्रामसभा के अधिकारी तथा सेवक :—कोई ग्रामसभा–

(क) एक सचिव, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहण करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें,

(ख) ऐसे अन्य अधिकारी तथा सेवक जो उसके कृत्यों का दक्षता-पूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हों,

नियुक्त कर सकेगी ।

18. अध्यक्ष, अधिकारियों तथा सेवकों को हटाया जाना :— (1) ग्रामसभा का अध्यक्ष ऐसे कारणों से, ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी रीति में जो विहित की जाय अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

(2) किसी ग्रामसभा का सचिव या अन्य अधिकारी या सेवक ग्रामसभा द्वारा सेवा से ऐसे कारणों से ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विहित की जाय, हटाया जा सकेगा ।

19. ग्रामसभा के कारबार का संचालन :—इस निमित्त बनाये गये नियमों, यदि कोई हो, के उपबन्धों के अध्यधीन किसी ग्रामसभा और उसकी समितियों का कारबार ऐसी रीति में संचालित किया जायेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाय और उक्त विनियमों में ऐसे मामले विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे जिनमें कि ग्रामसभा के विनिश्चय सर्वसम्मति या लगभग सर्वसम्मति के आधार पर अर्थात् बैठक में उपस्थित सदस्यों के नब्बे प्रतिशत से अन्यून बहुमत से दिये जायेंगे ।

www.vinoba.in

अध्याय 5

ग्राम समाज की शक्तियां और कृत्य

20. **दान की गई भूमियों का ग्रामसभा में निहित होना :**—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उस तारीख से जिसको किसी ग्रामदान गांव के लिए कोई ग्रामसभा गठित की जाती है:—

(क) उन व्यक्तियों के, जिनकी घोषणाओं की धारा 10 के अधीन पुष्टि कर दी गई है, उक्त घोषणाओं के अन्तर्गत आई हुई भूमियों में या पर समस्त अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय समाप्त (Cease) हो जायेंगे और ग्रामसभा को, किन्तु किन्हीं अन्य व्यक्तियों के विधिपूर्वक अस्तित्वशील अधिकारों बिल्लंगमों या साम्याओं के अध्यधीन अन्तरित हो जायेंगे और उसमें निहित होंगे;

(ख) ग्रामसभा धारा 8 तथा 9 में निर्दिष्ट अमिदायों को पाने की हकदार होगी।

(ग) ग्रामसभा—

(1) ग्रामसभा में निहित भूमियों के संबंध में भू-राजस्व भाटक, उपकर, स्थानीय कर तथा कर का, जो यदि दान न किया गया होता तो दानदाताओं द्वारा संदेय होते, संदाय करने के, इसका विचार किये बिना कि आया ऐसा दायित्व, निहित होने की तारीख के पहले या बाद में उत्पन्न हुआ था, और

(2) ग्रामसभा में निहित किसी भूमि के संबंध में, धारा 8 के अधीन उसके संबंध में घोषणा फाइल करने की तारीख से पूर्व सृष्ट समस्त बिल्लंगमों का उन्मोचन कराने की, दायित्वाधीन होगी :

परन्तु ऐसी भूमि पर जिसके लिए कि ग्रामसभा इस प्रकार दायित्वाधीन है, ऐसे निहित होने की तारीख को देय किसी भू-राजस्व, भाटक, उपकर, स्थानीय कर या करों का संदाय करने या उससे पूर्व सृष्ट किए गए किसी बिल्लंगम का उन्मोचन करने के लिए ग्रामसभा, चाहे ऐसे संदाय या उन्मोचन से पूर्व या पश्चात्, उस राशि को ऐसे धारक से जिसने भूमि को ग्रामदान स्वरूप दान दिया था, इस प्रकार वसूल करने में सक्षम होगी, मानो वह राशि ग्रामसभा को देय थी:

www.vinoba.in

परन्तु यह और कि जहां किसी मामले में ग्रामसभा को यह प्रतीत होता है कि ग्रामदान स्वरूप दान की गई भूमि के सम्बन्ध में बिल्लंगम तथा अन्य दायित्व अत्यधिक हैं अथवा अन्य किसी कारण से उसकी यह राय है कि उक्त दायित्वों के उन्मोचन का भार उठाना वांछनीय नहीं है, तो ग्रामसभा उस व्यक्ति को जिसकी उक्त भूमि, यदि वह ग्रामदान न किया गया होता/होती, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा ग्रामदान-स्वरूप दिये गये दान को विखण्डित कर सकेगी और तदुपरान्त उन भूमियों में या पर के समस्त अधिकार, हक तथा हित उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेंगे तथा उन भूमियों के सम्बन्ध में ग्रामसभा के समस्त दायित्व, सिवाय उन दायित्वों के जो उस अवधि में उत्पन्न हुए हो जबकि वह सम्पत्ति ग्राम सभा में निहित थी, समाप्त हो जायेंगे, तथा धारा 8 के अधीन उपरोक्त ग्रामदान के संबंध में फाइल की गई घोषणा प्रवृत्त नहीं रहेगी;

(घ) ग्रामदान गांव में स्थित भूमियों के संबंध में और जिनके संबंध में धारा 8 या धारा 22 के अधीन ग्रामदान स्वरूप दान किया गया है या नहीं किया गया है, देय भू-राजस्व, उपकर, स्थानीय कर तथा कर ग्रामसभा को उसके दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होंगे :

परन्तु इस प्रकार आप्त (realised) समस्त राशियां ऐसे संग्रहण, प्रभार्यों, जो विहित किये जायें, की कटौती करने के पश्चात् राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाय, प्रेषित की जायगी।

21. **भूदान बोर्ड में निहित भूमियों का ग्रामसभा में निहित होना :—** ग्रामदान गांव में की कोई भूमि जो उक्त ग्रामदान गांव के लिये ग्रामसभा के गठन से पूर्व भूदान बोर्ड में दान स्वरूप निहित थी, उस ग्रामसभा के गठन की तारीख से ग्रामसभा को अन्तरित हो जायगी और उसमें निहित होगी। ग्रामदान गांव की ऐसी कोई भूमि भी जो उपरोक्त तारीख के बाद भूदान बोर्ड में दान स्वरूप निहित होती है, उस तारीख से जिसको वह भूदान बोर्ड में निहित हुई हो ग्रामसभा को अन्तरित हो जायेगी और उसमें निहित होगी।

22. **ग्रामदान गांव की घोषणा के पश्चात् किये गये दान :—** (1) ग्रामदान गांव में भूमि धारण करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति अपनी समस्त भूमियों को ग्रामदान स्वरूप, उसी रीति और उन्हीं शर्तों के अध्यधीन दान कर सकता है जैसी धारा 8 के अधीन किसी दान के मामले में उपबन्धित है, और तदुपरान्त उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन इस अधिनियम के उपबन्ध, यावतशक्य, इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त दान उक्त धारा के अधीन किये गये थे :

www.vinoba.in

परन्तु इस धारा के अधीन की गई कोई घोषणा सभापति द्वारा ग्रामसभा के अनुमोदन के बिना पुष्ट न की जायगी ।

(2) उस तारीख से जिसको उप-धारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा पुष्ट की जाती है, किसी व्यक्ति के जिसकी घोषणा इस प्रकार पुष्ट की जाय, उस घोषणा में अन्तर्विष्ट भूमि में या पर के समस्त अधिकार, हक तथा हित, इस अधिनियम के द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर, समाप्त हो जायेंगे और उस ग्रामदान गांव के लिये गठित ग्रामसभा को अन्तरित हो जायेंगे तथा उसमें निहित होंगे, तथा तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध, यावतशक्य, इस प्रकार और लागू होंगे मानो ऐसी घोषणा धारा 10 के अधीन पुष्ट की गई थी ।

(3) ग्रामदान गांव में रहने वाला कोई वयस्क व्यक्ति जिसने धारा 8 या इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन ग्रामदान स्वरूप कोई दान नहीं किया है, ग्रामदान समुदाय में ऐसी रीति से जो ग्रामदान बोर्ड द्वारा अवधारित की जायें तथा उन्हीं शर्तों के अध्यधीन जो धारा 9 की उप-धारा (1) में उपबन्धित है, सम्मिलित हो सकेगा, और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध यावतशक्य, इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त घोषणा धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन की गई थी ।

23. **भूमि प्राप्तकर्त्ता** (grantee) **की ग्रामसभा को भूमिदान करने की शक्ति** :—(1) राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (राजस्थान अधिनियम 16, सन् 1954) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसे भूदान बोर्ड द्वारा भूमि अनुदत्त की जाय या की गई है यदि उक्त भूमि किसी ग्रामदान गांव में स्थित है तो उसे उसी रीति में तथा उन्हीं शर्तों के अध्यधीन जो धारा 8 के अधीन दान के मामले में उपबंधित है, दान कर सकेगा और तदुपरान्त उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के उपबन्ध यावत्शक्य, उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त दान उस धारा के अधीन किया गया था ।

(2) उस तारीख से जिसको उप-धारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा पुष्ट की जाती है ऐसे व्यक्ति के उस भूमि में या पर के समस्त अधिकार, हक तथा हित, इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर समाप्त हो जायेंगे तथा ग्रामसभा को अन्तरिम हो जायेंगे और उसमें निहित होंगे ।

24. **भूमि क्रय करने की शक्ति** :—ग्रामसभा को ग्राम समुदाय के फायदे के लिये भूमि क्रय करने की शक्ति होगी ।

www.vinoba.in

25. **भूमि का पूल** :—धारा 20 से 23 तक के अधीन ग्रामसभा में निहित और उसके द्वारा धारा 24 के अधीन क्रय की गई समस्त भूमियां, एक भूमि-पूल (Land pool) बनायेंगे ।

26. **भूमि का आवंटन** :—(1) ग्राम सभा, भूमि-पूल में से, दान की गई भूमियों का 19/20वां प्रभाग, उनके दानकर्ताओं को, जैसा कि धारा 8 के अधीन की गई घोषणाओं में विनिर्दिष्ट है, जब तक कि उक्त दानकर्ताओं ने उक्त भूमि के न्यूनतर प्रभाग को वैयक्तिक कृषि हेतु प्रतिगृहित करने के लिये अपनी सम्मति न दे दी हो, आवण्टित करेगी ।

(2) ग्रामसभा, दान की गई भूमि के 19/20वें भाग से अधिक का आवण्टन उसकी कीमत लिए बिना या कीमत लेकर, कर सकेगी, यदि वह ऐसा करना उचित समझे ।

(3) ग्रामसभा इस संबध में बनाये गये विनियमों के अनुसार किसी भूमिहीन व्यक्ति को अथवा भूमिहीन व्यक्तियों के समूह को अधिमान्यतः राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 (राजस्थान अधिनियम 13, सन् 1965) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गयी उक्त भूमिहीन व्यक्तियों की सहकारी कृषि संस्था को कोई भी भूमि जो भूमि-पूल का भाग हो, वैयक्तिक कृषि के लिए आवण्टित कर सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन किये गये किसी आवण्टन से व्यथित कोई व्यक्ति उस आशय का आवेदन ग्रामसभा को कर सकेगा, और ग्रामसभा, उक्त आवेदन प्राप्त होने पर, मामले को ग्रामदान बोर्ड को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट करेगी ।

(5) ग्रामदान बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

27. **ग्रामदान किसान के अधिकार** :—कोई व्यक्ति जिसे धारा 26 के अधीन भूमि अनुदत्त की गई है, उस भूमि को निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर ग्रामदान किसान के रूप में धारण करेगा, अर्थात् :—

(क) उक्त भूमि में ग्रामदान किसान का हित राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1955) की धारा 40 के उपबन्धों के अनुसार दान योग्य होगा;

(ख) ग्रामदान किसान ग्रामसभा के लिखित में पूर्व अनुमोदन के बिना भूमि में अपने हित को—

www.vinoba.in

(1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस गांव के संबंध में जिसमें उक्त भूमि स्थित है, उसके बीच सहमत निबंधनों और शर्तों पर ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित हो गया है :

परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का ग्रामदान किसान भूमि में अपना हित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के सदस्य के सिवाय जो ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित हो गया है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा;

(2) ग्रामसभा को; या

(3) साधारण बन्धक द्वारा सहकारी संस्था, किसी संस्था अथवा सरकार से उधार लिये गये किसी धन का संदाय सुनिश्चित करने हेतु उक्त सहकारी संस्था अथवा किसी संस्था, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किया जाय, अथवा सरकार को,

छोड़कर, अन्तरित नहीं करेगा;

(ग) ग्रामदान किसान, ऐसी तारीख अथवा तारीखों, जो विनियमों द्वारा विहित की जायें, से पहले भूमि के संबंध में संदेय भू-राजस्व, भाटक, उपकरों, स्थानीय करों और अन्य करों, यदि कोई हों, के बराबर रकम ग्रामसभा को संदत्त करेगा;

(घ) ग्रामदान किसान अपनी वार्षिक कृषि उपज का चालीसवाँ भाग अथवा ऐसा अन्य भाग जो ग्रामसभा इस निमित्त अवधारित करे, प्रति वर्ष ग्राम निधि में अभिदाय करेगा;

(घघ) ग्रामसभा द्वारा आवंटित भूमि ग्रामदान किसान द्वारा अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से जोती जायगी

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "उसके परिवार के किसी सदस्य' से ग्रामदान किसान का पति या पत्नी, उनके आश्रित पुत्र और पौत्र तथा ऐसे पुत्रों और पौत्रों की पत्नियां और पुरुष ग्रामदान किसान की आश्रित विधवा माता अभिप्रेत है ।

(ङ) ग्रामदान किसान भूमि को दो वर्ष से अधिक कालावधि के लिये अकृष्ट नहीं रहने देगा;

(च) धारा 28 के उपबन्धों के अध्यधीन, ग्रामदान किसान उक्त भूमि पर कब्जा रखने का हकदार होगा और ग्रामसभा उसकी सम्मति के बिना उक्त भूमि पर उसके कब्जे में बाधा नहीं डालेगी;

www.vinoba.in

(छ) उस भूमि के मामले में जो दान की जाने से अव्यवहित पूर्व अस्तित्वशील किसी पट्टे के अधीन थी, ग्रामदान किसान को अधिकार होगा कि वह भूधृतियों से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार उस का कब्जा इस प्रकार वापस करा ले मानो वह उसका पट्टाकर्त्ता बना रहा हो और पट्टे का पर्यवसान होने तक, उसे उक्त भूमि के संबंध में पट्टेदार द्वारा संदेय भाटक वसूल करने का भी अधिकार होगा :

(ज) दान की जाने से अव्यवहित पूर्व कब्जे सहित बन्धक के अध्यधीन भूमि के मामले में, ग्रामदान किसान को, यदि वह बन्धक के मोचन किये जाने के प्रयोजनार्थ संदत्त रकम का, तत्संबद्ध समस्त व्यय के साथ, ग्रामसभा को संदाय करदे तो ग्रामसभा द्वारा बंधक का मोचन किये जाने के पश्चात्, उसका कब्जा अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा ।

28. **ग्रामसभा की आवण्टन रद्द करने का शक्ति** :—(1) जब कोई ग्रामदान किसान—

(क) भूमि में अपना हित धारा 27 के खण्ड (ख) के उपबन्धों के उल्लंघन में अन्तरित करता है, या

(ख) उसे आवण्टित भूमि के संबंध में कोई शोध्य रकम ग्रामसभा को संदाय करने में विफल रहता है, या

(खख) धारा 27 के खंड (घघ) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, या

(ग) दो क्रमवर्ती वर्षों तक भूमि पर खेती करने में विफल रहता है,

तो ग्रामसभा, ग्रामदान किसान को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, उसकी भूमि का प्रबन्ध अधिग्रहण कर सकेगी, और यदि ग्रामदान किसान ग्रामसभा को प्रबन्ध सौंपने के ग्रामसभा के आदेश का अनुपालन नहीं करता तो ग्रामसभा आवंटन रद्द कर सकेगी और उसकी बेदखली के लिए आदेश पारित कर सकेगी ।

(2) यदि ग्रामदान किसान, बेदखली के आदेश के अनुपालन में, भूमि का कब्जा ग्रामसभा को नहीं सौंपता है तो ग्रामसभा आदेश की एक प्रति तहसीलदार को निष्पादनार्थ भेज सकेगी और, तहसीलदार राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1955) की धारा 185 में उप-बन्धक रीति से उसका निष्पादन करेगा ।

www.vinoba.in

29. **ग्रामसभा की पट्टा अनुदान करने की शक्ति** :—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन ग्रामसभा को ऐसी किसी भी भूमि को, जो भूमि-पूल का भाग हैं, यदि वह भूमि एतस्मिनपूर्व किये गये उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति को आवन्टित न कर दी गयी हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो ग्रामसभा उचित समझे, पट्टे पर देने की शक्ति प्राप्त होगी और पट्टेदार को उक्त भूमि के संबंध में पट्टे के निबन्धनों के अधीन यथा उप-बंधित के सिवाय, कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और न वह अधिकारों के लिए दावा करने का हकदार होगा ।

30. **ग्रामसभा में सामान्य भूमियों का निहित होना** :—(1) जब कोई सम्पूर्ण गांव, जो राजस्व अभिलेखों में इस रूप में प्रविष्ट है, ग्रामदान गांव घोषित कर दिया गया है, तो उक्त गांव की समस्त सामान्य भूमियां, उसके लिए ग्रामसभा गठित होने की तारीख से, उनमें अन्य पड़ौसी गांवों के निवासियों के अधिकारों, यदि कोई हों, के अध्यधीन, उक्त ग्रामसभा में निहित हो जायेगी ।

(2) जब किसी गांव का, जो राजस्व अभिलेखों में इस रूप में प्रविष्ट है, कोई भाग, ग्रामदान गांव घोषित किया जाय, तो राज्य सरकार, समय-समय पर, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त गांव की ऐसी सामान्य भूमियों को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, ग्रामसभा में निहित कर सकेगी ।

31. **राज्य सरकार की अन्य अनधिभुक्त भूमियों के प्रबन्ध का ग्रामसभा में निहित होना**—(1) जब राज्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश के अध्यधीन कोई सम्पूर्ण गांव, जो राजस्व अभिलेख में इस रूप में प्रविष्ट है, ग्रामदान गांव घोषित कर दिया गया हो तो उक्त गांव में राज्य सरकार की अनधिभुक्त भूमि का प्रबन्ध ग्रामसभा में निहित हो जायेगा और ग्रामसभा को, किसी प्राधिकारी से कोई अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना ही उक्त भूमि का सुधार करने की शक्ति होगी और उस पर खेती कराने अथवा अन्यथा, किसी भी रीति से, जिसे वह उचित समझे या तो स्वयं या संपूर्ण भूमि का अथवा उसके किसी भाग का, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, किसी व्यक्ति को पट्टा अनुदान करके कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाने की भी शक्ति होगी ।

(2) **उप-धारा** (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ, ग्रामसभा को उक्त किसी भूमि का विक्रय, दान, बन्धक अथवा विनियम द्वारा अन्तरण करने अथवा विहित कालावधि से अधिक लम्बी कालावधि के लिए उसे पट्टे पर देने अथवा कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना उसका कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग करने या उसे किसी भी रूप में ऐसा नुकसान पहुंचाने जिसमें कि उसका मूल्य

www.vinoba.in

स्थाई रूप से कम हो जाय, की शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं लगाया जायेगा ।

(3) ग्रामसभा राज्य सरकार को यथापूर्वोक्त खेती की गई अथवा उपयोग की गई किसी भूमि पर किसी विधि के उपबंधों के अनुसार निर्धारित अथवा नियत भाटक, उप-कर अथवा किसी अन्य कर का संदाय करने की दायी होगी ।

32. **धारा 31 के अधीन निहित भूमियों के प्रबन्ध से ग्रामसभा को निर्निहित करना**—धारा 31 की उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो, किसी भी समय, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा ग्राम सभा को उक्त उप-धारा में वर्णित समस्त भूमियों के अथवा उनके किसी भाग के प्रबन्ध से निर्निहित कर सकेगी और तत्पश्चात् उक्त भूमियों में ग्रामसभा के समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे ।

33. **ग्रामसभा की अन्य शक्तियां और कृत्य**—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, ग्रामसभा ग्राम समुदाय और उसके सदस्यों के कल्याण के लिये समस्त क्रिया कलापों का जिम्मा लेगी और उससे आनुषंगित समस्त अन्य बातें करेगी

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, ग्रामसभा–

(क) सामुदायिक प्रयोजनों के लिए भूमि पृथक् रख सकेगी;

(ख) भूमि सुधार कर सकेगी;

(ग) खेती के तरीकों में सुधार करने और बंजर भूमियों को कृषि योग्य बनाने के उपाय कर सकेगी;

(घ) भूमि विनिमय द्वारा अथवा अन्यथा ग्रामदान गांव में भूमियों का समेकन कर सकेगी;

(ङ) ग्राम अभिलेख जिसमें ग्रामसभा के अधीन व्यक्तियों के कब्जे में, की भूमियों का ब्यौरा देने वाला रजिस्टर सम्मिलित हैं, तैयार तथा संधारित कर सकेगी;

(च) ग्रामदान गांव के निवासियों के हित में कोई कृषि अथवा कृषि इतर उपक्रम का जिम्मा ले सकेगी;

(छ) ग्रामसभा के सदस्यों को किसी प्रयोजन के लिए, चाहे वह कृषि सम्बन्धी हो अथवा अन्यथा, उधार मंजूर कर सकेगी;

www.vinoba.in

(ज) वृद्धावस्था, निर्योग्यता अथवा अंगशैथिल्य से ग्रस्त व्यक्तियों को अथवा गांव के अनाथों को ऐसी सहायता दे सकेगी जो वह साध्य समझे;

(झ) गांव में अथवा गाँव में लगे हुए परिक्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिए शान्ति बल अथवा शान्ति दल समुत्थापित कर सकेगी;

(ञ) गांव में अथवा गांव में लगे हुए परिक्षेत्र में खाद्य में और जीवन की अन्य आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार का अथवा अन्य अधिकरणों का सहयोग और सहायता प्राप्त करने की स्कीमें तैयार कर सकेगी और उन्हें कार्यान्वित कर सकेगी;

(ट) ग्राम उद्योगों जिनमें, खादी, पशु प्रजनन आदि सम्मिलित हैं, के संपूर्ण विकास की स्कीमें तैयार कर सकेगी और उन्हें कार्यान्वित कर सकेगी;

(ठ) गांव में की बेकारी को हटाने के लिए कदम उठा सकेगी ।

(ड) सामुदायिक प्रयोजनों के लिए गांव में स्वेच्छिक अभिदाय जुटा सकेगी;

(ढ) ग्राम निधि के लेखे संधारित कर सकेगी;

(ण) अपने प्रभाराधीन ग्राम समुदाय के लिए आवासीय, शैक्षिक और चिकित्सीय सहायता के लिए स्कीमें तैयार कर सकेगी और उन्हें कार्यान्वित कर सकेगी;

(त) अपने सदस्यों के निजी ऋणों के बारे में समझौतों को प्रोत्साहित कर सकेगी;

(थ) ऐसे अन्य कृत्यों को कर सकेगी जिन्हें करने के लिए उसे राज्य सरकार द्वारा शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाय ।

अध्याय 6

ग्राम निधि

34. **ग्राम निधि** :—(1) प्रत्येक ग्रामदान गांव में एक निधि होगी जो ग्राम निधि कहलायेगी ।

(2) ग्राम निधि में निम्नलिखित राशियां संदाय की जायेंगी और उसका भाग होंगी, अर्थात् :-

www.vinoba.in

(क) ग्रामसभा द्वारा प्राप्त समस्त राशियां और धन जिनमें उसके द्वारा की गई किसी खेती अथवा अपने जिम्मे लिये गये उपक्रम से लाभ सम्मलित हैं, तथा ऐसे व्यक्तियों पर जिन्हें इस अधिनियम के अधीन भूमियां पट्टे पर दी गई हों, प्रभारित अथवा अधिरोपित भाटक, फीस अथवा अन्य प्रभार,

(ख) किसी व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार से उधार के रूप में प्राप्त समस्त राशियां;

(ग) अनुदानों, संदानो, दानों, वसीयतों अथवा अभिदायों के रूप में प्राप्त समस्त राशियाँ ।

35. उधार लेने की शक्ति :—(1) ग्राम सभा, एतन्निमित बनाये गये नियमों के अध्यधीन, ग्रामनिधि या उसमें निहित, या अपनी किसी सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, उन प्रयोजनों, जिनके लिये वह स्थापित की गई हैं को, कार्यान्वित करने के लिये धन जुटा सकेगी ।

(2) ग्रामसभा ऐसे प्रयोजनों में से किसी के लिये किसी व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार से भी उधार अभिप्राप्त कर सकेगी ।

36. ग्राम निधि का उपयोजन :—अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, ग्रामसभा द्वारा ग्राम निधि का उपयोजन केवल इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ही किया जायगा । ग्रामनिधि ऐसी अभिरक्षा में रखी जायगी जो विहित की जाय ।

37. लेखे तथा संपरिक्षा (आडिट) :—ऐसी रीति जिसमें ग्रामनिधि में से संदाय किया जायगा और उसमें लेखे रखे जायेंगे संपरीक्षित या पुनः संपरीक्षित किये जायेंगे, एतन्निमित बनाये गये नियमों के अनुसार विनियमित की जायगी ।

अध्याय 6-क

ग्रामदान समुदाय के बाहर हो जाने के विकल्प का प्रयोग

37-क. ग्रामदान समुदाय के बाहर हो जाने के विकल्प की घोषणा :— कोई भी ग्रामदान किसान, जो अप्राप्तवय न हो, जिसमें धारा 8 या 9 के अधीन घोषणाएं फाइल करने वाले या धारा 22 या 23 के अधीन भूमि का दान करने वाले या धारा 22 की उप-धारा (3) के अधीन ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति (जिन सबको इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में पात्र व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) सम्मिलित हैं, धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के समाप्त होने पर या उसके पश्चात्, उस जिले, जिसमें उसका ग्रामदान ग्राम स्थित

www.vinoba.in

है, के कलक्टर के समक्ष विहित प्रारूप में यह घोषणा फाइल कर सकेगा कि उसने ग्रामदान समुदाय के बाहर हो जाने के विकल्प का प्रयोग करने का विनिश्चय कर लिया है और कि उसका निवेदन है कि उसके ग्रामदान ग्राम को इस अधिनियम के उपबन्धों के क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया जाये ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की घोषणा तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक वह निम्नलिखित रूप से नहीं की गई हो—

(क) दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा सहग्रामदान किसानों के रूप में धारित भूमि की दशा में ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से; और

(ख) बंधक के अधीन की भूमि की दशा में बंधककर्ता तथा बन्धकदार द्वारा संयुक्त रूप से ।

(3) उपधारा (1) के अधीन की घोषणा या तो वैयक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से की जा सकेगी ।

(4) जहां किसी ग्रामदान ग्राम में, 50 प्रतिशत से अधिक पात्र व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन की घोषणा फाइल कर दें वहां, कलक्टर ऐसी घोषणाओं को सत्यापन, जांच और रिपोर्ट के लिए उस ग्राम पर अधिकारिता रखने वाले उप-खंड अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(5) उप-खंड अधिकारी, कलक्टर से घोषणाओं की प्राप्ति पर, ग्रामदान ग्राम के सभी पात्र व्यक्तियों की, उनमें से ऐसे व्यक्तियों पर, जिन्होंने उप-धारा (1) के अधीन की घोषणाएं फाइल की हैं, बैठक की तारीख, स्थान तथा समय के बारे में अलग-अलग नोटिस तामील कराकर तथा उस ग्राम में डोंडी पिटवाकर सार्वजनिक सूचना उद्घोषित कराकर और ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर सार्वजनिक सूचना की प्रति चिपकवाकर भी, उसी ग्राम में बैठक बुलायेगा । उप-खण्ड अधिकारी या, जहां ग्रामदान बोर्ड का अध्यक्ष, उक्त अधिकारी के द्वारा जांच की सम्यक् सूचना के पश्चात्, जांच की प्रक्रिया से सहयुक्त होने का आशय रखे, उक्त अध्यक्ष के नामांकिती से सम्यक् रूप से सहयुक्त उपखंड अधिकारी, ऐसी जांच करके, जैसी वह उचित समझे, यह सत्यापित और अभिनिश्चित करेगा कि आया ग्रामदान ग्राम के 50 प्रतिशत से अधिक पात्र व्यक्ति उक्त उप-धारा के अधीन की गई घोषणाओं की अभिपुष्टि करते हैं । उपखंड अधिकारी, जांच के पश्चात्, बैठक के कार्यवृत्त की प्रति, अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिशों के सहित, कलक्टर को अग्रेषित करेगा ।

(6) जहां उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट और सिफारिशों से कलक्टर का, यह समाधान हो जाता है कि ग्रामदान ग्राम के 50 प्रतिशत से अधिक पात्र व्यक्तियों ने ग्रामदान समुदाय के

www.vinoba.in

बाहर हो जाने के विकल्प का प्रयोग करने का विनिश्चय कर लिया है और इस अधिनियम के उपबन्धों के क्षेत्र में अपवर्जित किये जाने का निवेदन किया है वहां वह, ग्रामदान बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि वह ग्रामदान ग्राम, जिसके बारे में उप-धारा (1) के अधीन की घोषणाएं की गई हैं, ग्रामदान ग्राम नहीं रहेगा और उस ग्राम के ग्रामदान किसान इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित नहीं होंगे ।

(7) इसके साथ ही, कलक्टर, घोषणा की प्रतियां राज्य सरकार, ग्रामदान बोर्ड के अध्यक्ष, संबंधित ग्रामसभा के अध्यक्ष, संबंधित उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को भी भेजेगा ।

(8) कलक्टर, उस ग्राम पंचायत का नाम उपदर्शित करते हुए जिसमें उस ग्रामदान ग्राम का क्षेत्र, जिसके बारे में, उसके द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की घोषणा की गई है सम्मिलित किया जाना चाहिए, राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें भी भेजेगा और राज्य सरकार इस मामले में राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगी ।

37-ख. **घोषणा के परिणाम**—धारा 37-क की उप-धारा (6) के अधीन की कलक्टर की घोषणा के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(क) वह ग्रामदान ग्राम जिसके बारे में घोषणा की गई है, ऐसा ग्राम नहीं रहेगा;

(ख) ऐसे ग्रामदान ग्राम की ग्रामसभा, उसकी कार्यपालिका समिति और अन्य समितियां विघटित हो जाएंगी;

(ग) ग्रामदान किसान द्वारा उसे अथवा उसके हक पूर्वाधिकारी को धारा 26 के अधीन ग्रामसभा द्वारा किये गये आवंटन के परिणामस्वरूप धारित भूमि, तत्पश्चात् उसके दानकर्ताओं अथवा यथास्थिति, उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा धारित होती रहेगी और वे उस भूमि का धारण वैसे ही अधिकारों और हित के अधीन करेंगे जैसे कि उनके अथवा उनके हित पूर्वाधिकारी के तब थे जब भूमि धारा 8 के अधीन ग्रामदान के रूप में दान की गई थी;

(घ) यदि किसी ऐसी भूमि में से जो, भूमि के धारक द्वारा धारा 8 के द्वितीय परन्तुक के अधीन अभिदाय के रूप में दान में दी गई थी और जो धारा 25 के अधीन भूमि पूल का भाग बनी थी, भूमि का कोई भी भाग, धारा 26 की उप-धारा (3) के अधीन किसी

www.vinoba.in

भी भूमिहीन व्यक्ति अथवा भूमिहीन व्यक्तियों के ग्रुप को ग्रामसभा द्वारा, बाद में, आवंटित कर दिया गया था, तो वह उसके आवंटितियों अथवा यथास्थिति, उनके विधिक प्रतिनिधियों के पास बना रहेगा और वे, इन भूमियों के उन्हें आवंटित होने की तारीख से, उनके गैर-खातेदार काश्तकार समझे जायेंगे और वे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार खातेदार काश्तकार होने के हकदार होंगे;

(ङ) यथा उपर्युक्त अभिदत्त भूमि में से इतनी भूमि जो ग्रामसभा के पास उसके भूमि पूल में शेष रह गई हो और जो राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ से ठीक पूर्व धारा 26 की उप-धारा (3) के अधीन आवंटित नहीं की गई हो, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा राज्य सरकार ऐसी भूमि का, ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति से उपयोग करेगी जो विहित की जाये;

(च) अधिकारिता रखने वाला तहसीलदार, सुसंगत राजस्व अभिलेखों में विहित रीति से संशोधन करायेगा ।

37-ग आस्तियां और दायित्व—(1) धारा 37-क की उप-धारा (6) के अधीन कलक्टर की घोषणा के प्रकाशित हो जाने पर ग्रामसभा की समस्त आस्तियां और दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और ग्रामसभा को संदत्त किये जाने वाले या ग्रामसभा के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले समस्त देय, राज्य सरकार को संदत्त किये जाने वाले या राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले समझे जायेंगे ।

(2) ऐसी घोषणा से पूर्व ग्रामसभा को संदेय सभी देय राज्य सरकार द्वारा, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे ।

(3) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि ग्रामसभा की समस्त आस्तियों और दायित्वों का और उसको या उसके द्वारा संदत्त किये जाने वाले समस्त देयों का उचित रूप से हिसाब रखा जाता है और समस्त आस्तियां और सुसंगत दस्तावेज ग्रामसभा द्वारा राज्य सरकार को पूर्ण रूप से अन्तरित कर दिये जाते हैं ग्राम पर अधिकारिता रखने वाला उपखण्ड अधिकारी समापक के रूप में कार्य करेगा ।

(4) ग्रामसभा का अध्यक्ष तथा कार्यपालिका समिति और अन्य समितियों के सदस्य, ग्रामसभा से संबंधित अपने वास्तविक कब्जे या अधिभोग में के समस्त कागजों, दस्तावेजों तथा सम्पत्तियों के सहित अपने पद या पदों का कार्यभार विहित रीति से समापक को तुरन्त संभला देंगे ।

www.rnbooks.in

(5) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (4) के अधीन जैसा अपेक्षित है, कागजों, दस्तावेजों और सम्पत्तियों के सहित-पद का कार्यभार संभलवाने में असफल रहता है या उससे इन्कार कर देता है तो समापक, लिखित आदेश द्वारा, इस प्रकार असफल रहने वाले या इन्कार करने वाले व्यक्ति को समापक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसा कार्यभार संभलवाने के लिए निदेश देगा ।

(6) यदि वह व्यक्ति, जिसे उप-धारा (5) के अधीन निदेश जारी किया गया है, निदेशों का पालन करने में असफल रहता है तो वह दोषासिद्धि पर कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(7) समापक, ऐसी किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अधीन की गई है या की जाये, विहित रीति से इस प्रयोजन के लिए पुलिस या अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट की सहायता मांग सकेगा ।

(8) निष्क्रिय ग्रामसभा के दायित्व समापन द्वारा सबसे पहले उसकी ऐसी भूमि का विक्रय करके उन्मोचित किये जाएंगे जो ग्रामसभा के भूमि-पूल में शेष रही हो और जो उसके द्वारा आवंटित नहीं की गई थी ।

(9) यदि ग्रामसभा-पूल की समस्त भूमि निष्क्रिय ग्रामसभा द्वारा आवंटित कर दी गई हो या यदि ऐसी भूमि दायित्वों के उन्मोचन के लिए पर्याप्त नहीं है तो ऐसी ग्रामसभा के कर्मचारियों का वेतन और भत्ते उन ग्रामदान किसानों से अनुपातिक अभिदाय प्रभारित करके संदत्त किये जाएंगे, जिन्होंने इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन ग्रामदान समुदाय से बाहर हो जाने के विकल्प का प्रयोग किया हो ।

(10) धारा 37-क की उप-धारा (6) के अधीन कलक्टर की घोषणा के जारी होने से पूर्व ग्रामदान किसानों या ग्राम के अन्य निवासियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपगत दायित्व उनके ही दायित्व रहेंगे और उनके द्वारा धारित भूमि पर प्रभार होंगे ।

37-घ. **अपील और पुनरीक्षण**—(1) समापक के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की उसे संसूचना होने से तीस दिन के भीतर जिले पर अधिकारिता रखने वाले कलक्टर को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील के परिणाम के अध्यधीन रहते हुए समापक का आदेश अन्तिम होगा ।

(2) धारा 37-क की उप-धारा (6) के अधीन कलक्टर के घोषणा करने से इन्कार करने के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 37-क की उप-धारा (1) के अधीन की घोषणा फाइल की है ऐसे इन्कार करने से तीस

www.vinoba.in

दिन के भीतर राज्य सरकार को पुनरीक्षण फाइल कर सकेगा और राज्य सरकार, अभिलेख मंगवाने तथा जांच, यदि आवश्यक हो, करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह ठीक समझे और कलक्टर का आदेश पुनरीक्षण में राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन होगा ।

(3) ग्रामसभा या कोई भी अन्य व्यथित व्यक्ति धारा 37-क की उप-धारा (6) के अधीन कलक्टर द्वारा घोषणा के जारी किये जाने के विरुद्ध ऐसी घोषणा से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को पुनरीक्षण फाइल कर सकेगा और राज्य सरकार या तो कलक्टर के आदेश की पुष्टि कर सकेगी या ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे तथा घोषणा करने वाले कलक्टर का आदेश पुनरीक्षण में राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन होगा ।

37-ङ **पंचायतों को क्षेत्र का अन्तरण**—(1) जब किसी ऐसे ग्रामदान ग्राम का कोई क्षेत्र जो इस अध्याय के अधीन ऐसा ग्राम नहीं रह गया हो राज्य सरकार द्वारा किसी पंचायत को अन्तरिम कर दिया जाये तो राज्य सरकार संपत्ति या निधियों का ऐसा भाग जैसा वह ठीक समझे उस पंचायत के व्ययनाधिकार के अधीन कर देगी जिसकी अधिकारिता में ऐसा क्षेत्र अन्तरित किया गया है ।

(2) निष्क्रिय ग्रामसभा का अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य निष्क्रिय ग्रामदान ग्राम के सम्मिलित हो जाने पर उस पंचायत के, जिसमें वह ग्राम सम्मिलित किया गया है, तब तक जब तक कि नये निर्वाचन नहीं हो जाते, सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त पंच समझे जायेंगे ।

(3) जब राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि या भवन का अन्तरण किसी ग्राम पंचायत को करती है जो निष्क्रिय ग्रामसभा के भूमि-पूल में था तो ग्राम पंचायत उसे, ऐसी भूमि तथा भवनों से संबंधित समस्त अधिकारों और दायित्वों के अध्यधीन रहते हुए प्राप्त करेगी ।

6. **निरसन और व्यावृत्तियां**—(1) राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 8) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसा निरसन होने पर भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किए गए समस्त कार्य या की गई समस्त कार्रवाइयां, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किए गए या की गई समझी जायेगी ।

www.vinoba.in

अध्याय 7

प्रकीर्ण

38. गाँव के किसी भाग का पृथक् गांव के रूप में रजिस्ट्रीकरण :— (1) जहां राजस्व अभिलेखों में इस रूप में प्रविष्ट किसी गांव का कोई भाग धारा 11 के अधीन ग्रामदान गाँव होना घोषित किया जाता है, वहां उक्त ग्रामदान गांव की ग्रामसभा उस जिले के जिसमें वह गांव स्थित है, कलेक्टर के समक्ष उस भाग को शेष गांव से पृथक् करने का और उसका पृथक् गांव के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिये आवेदन-पत्र फाइल कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त करने पर, कलेक्टर ऐसे नियमों के अध्यधीन जो विहित किये जाये, उस भाग का एक पृथक् गांव के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा :

परन्तु गांव के किसी भी भाग का, किसी पृथक् गांव के रूप में रजिस्ट्रीकरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे भाग की जनसंख्या सौ से कम है

39. ग्राम सभा शाध्य रकमों को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगी :— भू-राजस्व, उपकर, स्थानीय कर या कर की कोई भी बकाया या ग्राम सभा को अभिदाय स्वरूप या अन्यथा देय कोई अन्य राशि, ग्रामसभा द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने पर, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायगी और ग्रामसभा को संदत्त की जायगी ।

40. ग्राम सभा अथवा ग्रामदान किसान द्वारा धृत भूमियों के विक्रय पर निर्बन्धन :— जहां ग्रामदान किसान का ग्रामसभा को दान की गई किसी भी भूमि में का हित, या जहां ग्रामसभा का किसी भूमि में का हित उस ग्रामदान किसान अथवा ग्रामसभा; यथास्थिति, से प्राप्य किन्हीं राशियों का संदाय करने में किसी व्यक्तिक्रम के कारण विक्रय किया जाता है, वहाँ ऐसा हित ग्राम सभा या ऐसे व्यक्ति को जो उस गांव जिसमें वह भूमि स्थित है, के ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित हो चुका है, को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं किया जायेगा ।

41. ग्राम सभा का सहकारी संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकरण :— कोई भी ग्राम सभा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 (राजस्था

www.vinoba.in

अधिनियम 13 सन् 1965) के अधीन सहकारी संस्था के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत करा सकेगी ।

42. स्टाम्प शुल्क आदि से छूट देने की शक्ति :—राज्य सरकार शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा–

(क) ऐसे स्टाम्प सुल्क का जो तत्समय प्रवृत्त स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी किसी विधि के अधीन इस अधिनियम के अधीन की गई किसी घोषणा या ग्राम सभा द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किसी लिखित पर प्रभार्य है,

(ख) ऐसे किसी शुल्क (फी) का जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि ग्रामदान स्वरूप अन्तरित करने के किसी लिखित के सम्बन्ध में या ग्राम सभा द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय है,

परिहार कर सकेगी ।

43. (विलोपित)

44. ग्राम सभा के अध्यक्ष आदि लोक सेवक होंगे :—इस अधिनियम के अधीन गठित ग्राम सभा के अध्यक्ष तथा कार्यपालिका समिति के सदस्य तथा ग्राम सभा के अधिकारी और सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।

45. प्रत्यायोजित करने की शक्ति :—राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अध्यधीन, कलेक्टर किसी अधिकारी को, जो तहसीलदार से नीचे की पंक्ति का न हो, इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

46. अधिकारिता का वर्जन :—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय की ऐसे किसी मामले के बारे में अधिकारिता नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना, विनिश्चित किया जाना या जिस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन उक्त किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं बनाया जायगा।

mpba.in

47. कार्यपालिका समिति का विघटन :—(1) यदि ग्रामदान बोर्ड का किसी भी समय समाधान हो जाता है कि किसी ग्रामसभा की कार्यपालिका समिति युक्तियुक्त हेतुक के बिना, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का निर्वहण करने या उसे समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने में विफल रही है, अथवा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के बाहर कार्य किया है, या उनका दुरूपयोग किया है, अथवा कि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो वह राज्य सरकार को यह निर्देश देने के लिये निवेदन कर सकेगी कि कार्यपालिका समिति को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से विघटित कर दिया जाय । राज्य सरकार स्वयं भी ऐसी कार्यवाही शुरू कर सकेगी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्यपालिका समिति को विघटित करने का विनिश्चय ग्रामदान बोर्ड के परामर्श के बिना नहीं किया जायेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्रकाशित करने के पूर्व राज्य सरकार—

(1) कार्यपालिका समिति को वे आधार संसूचित करेगी जिन पर वह कार्यवाही करना प्रस्थापित करती है, समिति के लिये उक्त प्रस्थापना के विरुद्ध कारण बताने के लिये कोई युक्तियुक्त अवधि नियत करेगी तथा उसके स्पष्टीकरण तथा आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी, और

(2) ग्रामदान बोर्ड से परामर्श करेगी तथा उसकी राय पर यदि वह ऐसे परामर्श की संसूचना के प्रेषण की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय, विचार करेगी ।

(3) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में किसी ग्रामसभा की कार्यपालिका समिति के विघटन के लिये नियत तारीख को—

(1) कार्यपालिका समिति विघटित हो जायेगी, और

(2) यह समझा जायेगा कि उसके समस्त सदस्यों ने जिनमें ग्रामसभा का अध्यक्ष सम्मिलित है, अपने पद खाली कर दिये हैं ।

(4) जब किसी ग्राम सभा की कार्यपालिका समिति का विघटन किया जाता है तो ग्राम सभा धारा 15 के अनुसार अन्य कार्यपालिका समिति के शीघ्र गठन तथा निर्वाचन के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ।

www.vinoba.in

परन्तु राज्य सरकार बारह मास से अनधिक अवधि तक चुनाव मुल्तवी करने का निर्देश दे सकेगी ।

(5) किसी ग्रामसभा की कार्यपालिका समिति के विघटन पर तथा उप-धारा (4) के अधीन अन्य कार्यपालिका समिति का गठन लम्बित रहने तक राज्य सरकार आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन कार्यपालिका समिति की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कर्त्तव्य तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिये किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन नियुक्त कर सकेगी जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें ।

48. अध्यक्ष द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन :—समापति, इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या कोई शक्तियां, विहित रीति में, किसी ग्रामसभा के अध्यक्ष को उस ग्रामसभा के स्थानीय क्षेत्र में प्रयोग किये जाने हेतु, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

49. नियम :—(1) राज्य सरकार शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्त्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जावेंगे और यदि उस सत्र के जिसमें वह ऐसे रखे गये हों, या ठीक पश्चावर्ती सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन उस नियम में कोई उपान्तर करे या विकल्प करे कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, ऐसे नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होंगे या उनका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण तद्धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

50. विनियम :—ग्रामसभा इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिये ऐसे विनियम बना सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों

सूरज प्रकाश मेहरा,
शासन सचिव ।

www.vinoba.in

राजस्व (ख) विभाग

राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971

जयपुर, नवम्बर 12, 1971

*(अध्याय 1)

प्रारम्भिक

जी. एस. आर. 351 (24)

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) ये नियम राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 कहलायेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रभावशील होंगे।

2. व्याख्या :—(1) इन नियमों में जब तक विषय या प्रसंग में अन्यथा न हो :-

(i) "अधिनियम" से अभिप्राय राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (अधिनियम सं. 12, सन् 1971) से है,

(ii) "प्रपत्र" से अभिप्राय इन नियमों में संलग्न प्रपत्र से है,

(iii) "धारा" से अभिप्राय उक्त अधिनियम की किसी धारा से है।

(2) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 (राजस्थान एक्ट संख्या 3, सन् 1955) में या राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 (राजस्थान एक्ट संख्या 15, सन् 1956) में परिभाषित हैं, इसमें जहां कहीं प्रयुक्त हुए हों, वे ही अर्थ लगाये जायेंगे जो कि उक्त अधिनियमों में उनके लिये नियत किये गये हैं।

अध्याय 2

ग्रामदानी गांव

3. धारा 8 के अन्तर्गत घोषणा का प्रपत्र :—(1) उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक घोषणा प्रपत्र "क" में होगी।

(2) जो भूमियां भिन्न-भिन्न गांवों में स्थित हों उनका धारक, प्रत्येक गांव के संबंध में पृथक्-पृथक् घोषणायें पेश करेगा।

---

* अधिसूचना संख्या प. 6 (41) राजस्व/ग्रुप-4/76, दिनांक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र के भाग 4 (ग) (1) में दिनाँक 8-1-1980 को पृष्ठ 1 से 5

www.vinoba.in

(3) किसी गांव में जिस भूमि को दान दिये जाने का प्रस्ताव हो, यदि उस भूमि के एक से अधिक मालिक हों तो एक ही संयुक्त घोषणा पेश की जाएगी जैसा कि धारा 8 *(की) उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षित है ।

4. **धारा 9 के अन्तर्गत घोषणा का प्रपत्र** :—उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक घोषणा प्रपत्र "ख" में होगी ।

5. **धारा 8 या 9 के अन्तर्गत घोषणा पेश करने की प्रक्रिया** :—धारा 8 या 9 के अन्तर्गत घोषणा, घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं या उक्त व्यक्ति यदि एक से अधिक हों तो उनमें से किसी एक के द्वारा या किसी अधिकृत एजेन्ट द्वारा पेश की जायेगी अथवा रजिस्ट्री कराकर डाक द्वारा, जिसकी पहुंच की रसीद आनी हो, भेजी जा सकेगी ।

(6. **सभापति द्वारा जांच :—(1) सभापति धारा 10 (1) के अर्न्तगत जांच करते समय यह अभिनिश्चित करेगा कि आया :—

(क) घोषणा करने वाला व्यक्ति घोषणा में निर्दिष्ट भूमि में प्रकट रूप से कोई अधिकार स्वत्व या हित रखता है,

(ख) उक्त व्यक्ति उक्त दान करने के लिये विधिक रूप से सक्षम है,

तथा

(ग) घोषणा में दिये गये ब्यौरे सही हैं ।

(2) सभापति तहसील के अभिलेखों से भी जांच करेगा और उस क्षेत्र के राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी तथा सम्बन्धित गिरदावर कानूनगो से रिपोर्ट मांग सकेगा ।

(3) इस नियम के अन्तर्गत जांच यथासंभव शीघ्र तथा हर हालत में ऐसी अवधि के भीतर पूरी की जायेगी जो धारा 8(1) और 9(1) के अधीन घोषणा-पत्र प्राप्त होने की तारीख से आगे एक महीने से अधिक न हो ।

7 घोषणा-पत्र का प्रकाशन :—सभापति उक्त घोषणा का निम्नलिखित तरीके से प्रपत्र 'ग' तथा 'ग-2' में अलग-अलग नोटिस–

(1) तहसील, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर, तथा

(2) किसी सार्वजनिक स्थान पर या जो भूमि नोटिस में निर्देशित हो उससे सन्निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाकर, प्रकाशन करेगा ।

---

* उपरोक्तानुसार "की" अन्तःस्थापित ।

** अधिसूचना संख्या प. 6 (41) राजस्व/ग्रुप-4/76, दिनांक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) (1) में दिनांक 9-1-1980 को पृष्ठ 1 से 5 ।

www.vinoba.in

8. प्रक्रिया जिसका अनुसरण किया जायेगा :—(1) धारा 10 (1) में निर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया वही होगी जो कि नान-जुडिशियल मामलों में आवेदनों तथा कार्यवाहियों के लिये राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के अधीन निर्धारित है।

(2) नियम 7 के अन्तर्गत घोषणा-पत्रों की जांच के बाद उनकी पुष्टि के आदेश का प्राकशन तथा उस आदेश के विरुद्ध अपील की सूचना प्रपत्र 'ग-1' तथा 'ग-2' में होगी।

9. आज्ञा के विरुद्ध अपीलें :—(1) धारा 10 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सभापति की आज्ञा के विरुद्ध अपील उस जिला कलेक्टर के समक्ष पेश की जाएगी कि जिस जिले में वह भूमि स्थित है।

(2) उक्त अपीलें दायर करने की रीति तथा उनकी सुनवाई और निपटारा करने की प्रक्रिया वही होगी जो नॉन-जुडिशियल मामलों में अपीलों के लिए राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट. 1956 के अधीन निर्धारित है।

10. धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति :—(1) यदि धारा 11 की उप-धारा (1) में निर्धारित शर्तों का समाधान हो जाय तो कलेक्टर प्रपत्र 'घ' में एक अधिसूचना जारी करेगा।

(2) उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपियों को धारा 11 की उप-धारा (3) में निर्देशित तरीके से चिपकाए जाने के *(अतिरिक्त) उक्त अधिसूचना के सारांश को उस गाँव में जो कि ग्रामदान गांव घोषित किया गया हो डोंडी पिटवा कर भी प्रकाशि किया जाएगा।

अध्याय 3

ग्राम सभा

11. ग्राम सभा के सदस्यों का रजिस्टर :—(1) धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन रखा गया सदस्य रजिस्टर, प्रथम तैयार किए जाने की तारीख के पश्चात् दो वर्ष में संशोधित करके अधःतन पुनरीक्षित किया जायेगा।

(2) रजिस्टर में प्रविष्टियों का संशोधन करने के पूर्व कार्यपालिका समिति आपत्तियां आमन्त्रित करेगी तथा ऐसी जांच करेगी जो उक्त दावों तथा आपत्तियों का निपटारा करने के लिए आवश्यक हो और तदुपरान्त प्रविष्टियों में संशोधन करेगी।

---

* अधिसूचना संख्या प. 6 (41) राजस्व/ग्रुप-4/76, दिनांक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र के भाग 4 (ग) (1) में दिनाँक 8-1-1980 को पृष्ठ 1 से 5 पर "अतिरिक्त" अन्तःस्थापित।

(3) ऐसी प्रविष्टियों की सूचना ग्राम सभा के कार्यालय के सूचना पट्ट पर सदस्यता संख्या के साथ प्रकाशित करेगी ।

(4) नई प्रविष्टियों की कार्यवाही, कार्यपालिका द्वारा स्वयं भी की जा सकेगी ।

12. **ग्राम सभा के अध्यक्ष तथा कार्यपालिका समिति का चुनाव :—** *(1) नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ग्राम सभा के सदस्यों का रजिस्टर तैयार हो जाने के शीघ्र पश्चात् और हर दशा में धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने से तीस दिन के भीतर मुनादी द्वारा ग्राम सभा के रजिस्टर्ड सदस्यों की एक मीटिंग ऐसी तारीख, समय तथा स्थान पर, जो निर्धारित किये जायें, बुलाये जाने की ग्रामदान बोर्ड व्यवस्था करेगा । प्रस्तावित मीटिंग की घोषणा कम से कम तीन लगातार दिन तक की जायेगी ।

(2) इस मीटिंग में, जिसका सभापति ग्रामदान बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होगा ग्राम सभा का कोई भी रजिस्टर्ड सदस्य, उपयुक्त रजिस्टर्ड सदस्यों में से किसी भी सदस्य का नाम, जो मीटिंग में उपस्थित हो, कार्यपालिका समिति के सदस्यों के पद के चुनाव के लिये प्रस्तावित कर सकेगा ।

(3) चुनाव के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों को अपना नाम, वास्तविक चुनाव के पहले, वापिस लेने का अधिकार होगा ।

(4) यदि कार्यपालिका समिति के सदस्यों के पद के लिए अधिक उम्मीदवार हों तो चुनाव हाथ खड़े करवा कर किया जायेगा :

परन्तु शर्त यह है कि जिन प्रस्तावित नामों के बारे में **2/3 बहुमत होगा वे ही चुने जायेंगे ।

(5) सभापति चुने हुये व्यक्तियों के नाम सभा में घोषित करेगा तथा सभा के तत्काल पश्चात् उक्त विधि से चुने हुए व्यक्तियों को अध्यक्ष के चुनाव के लिए एकत्र होकर बैठने के लिए आमंत्रित करेगा ।

(6) अध्यक्ष का चुनाव, कार्यपालिका के सदस्यों के द्वारा चुनाव की उपर्युक्त पद्धति के अनुसार होगा ।

(7) अध्यक्ष के चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बराबर होने की दशा में मीटिंग का सभापति सदस्यों की उपस्थिति में भाग्यपत्रक (लाट) डालेगा और जिस उम्मीदवार का नाम पहले निकल आवे उसे ही निर्वाचित हुआ घोषित किया जावेगा ।

---

* अधिसूचना संख्या प. 6 (41) राजस्व/ग्रुप.-4/76, दिनांक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र के भाग 4 (ग) (1) में दिनांक 8-1-1980 को पृष्ठ 1 से 5

** राजस्व ग्रुप (4) की अधिसूचना 2(1)राज/4/87/32 दि. 3.7.87 द्वारा संशोधित

www.vinoba.in

(8) मीटिंग का सभापति उक्त, चुनावों के परिणामों की सूचना उक्त ग्रामदानी गांव के कार्यालय अथवा उसके किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाएगा तथा आवश्यक रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित जिला व तहसील के प्रमुख राजस्व अधिकारी, राजस्व विभाग तथा ग्रामदान बोर्ड को भी इसकी सूचना देगा ।

13. अध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्त्तव्य :—ग्राम सभा का अध्यक्ष—

(क) ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएगा, उसका सभापतित्व करेगा एवं उसका संचालन करेगा ।

(ख) ग्राम सभा के अभिलेख को ठीक स्थिति में रखे जाने की व्यवस्था करेगा ।

(ग) ग्राम सभा के सदंस्यों में प्रेरणा तथा उत्साह को बढ़ावा देगा और ग्राम सभा, उसकी कार्यपालिका समिति तथा तदर्थ (एड हाक) समितियों को उनकी योजनाओं, निर्माण कार्यों तथा विचार-विमर्श में आवश्यक पथ प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा ।

(घ) ग्राम सभा और उसकी समितियों के कार्य पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

(ङ) ऐसे समस्त कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी समस्त शक्तियों का उपयोग करेगा जो अधिनियम द्वारा तद्धीन उस पर आरोपित या उसे प्रदान की जाये अथवा ग्राम सभा द्वारा बनाये गये विनियमों के जरिये उसे सुपुर्द की जाये ।

*13. **(क) अध्यक्ष द्वारा भू-अभिलेक की नकलें देना एवं निरीक्षण** :—(i) अध्यक्ष ग्रामदानी क्षेत्र के भू-अभिलेख को ठीक स्थिति में रखे जाने की व्यवस्था करेगा ।

(ii) यदि कोई व्यक्ति जो उस अभिलेख में रुचि रखता है, उसका निरीक्षण करना चाहे तो अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बिना किसी शुल्क अदा किये उसका निरीक्षण करने तथा पेन्सिल से टिप्पणी लेने की अनुमति देगा ।

(iii) अध्यक्ष उसके कब्जे में जो अभिलेख हैं उसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना-पत्र देने पर देने की व्यवस्था करेगा । ये प्रमाणित प्रतियाँ ऐसे प्रपत्र पर जो प्रत्येक अभिलेख के लिये तत्सम्बन्धी नियमों के तहत निर्धारित है दी जायेगी । प्रत्येक प्रमाणित अंश पर अध्यक्ष "सही प्रति" शब्द अंकित करेगा । तथा अपने पद सहित हस्ताक्षर करेगा । प्रत्येक अंश पर वह प्रार्थना पत्र देने की

---

* अधिसूचना संख्या प. 6 (41) राजस्व/ग्रुप-4/76, दिनांक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र के भाग 4 (ग) (1) में दिनाँक 8-1-1980 को पृष्ठ 1 से 5

www.swatantrabaat.in

तिथि, तैयार करने की तिथि व प्रार्थी को उसे देने की तिथि दर्ज करेगा। साधारण शुल्क से प्रतिलिपियों को प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 10 दिन के अन्दर तथा दुगुने शुल्क से प्रतिलिपियां मांगने पर 24 घंटों के अंदर दी जायेगी। अभिलेख के अंश की प्रमाणित प्रतियों के लिये देय राशि निम्न प्रकार होगी :—

अभिलेख का नाम	शुल्क
1. जमाबन्दी	प्रत्येक 50 खसरे व उससे कम के लिये 52 पैसा।
2. खसरा एवं सियाह	प्रत्येक इन्द्राज के 8 पैसे तथा न्यूनतम 24 पैसे।
3. दिनचर्या बही	प्रत्येक दिन के एक इन्द्राज के लिये 24 पैसा प्रति इन्द्राज।
4. शजरा नसब	प्रत्येक 25 शब्द अथवा उससे कम के लिये 24 पैसा।
5. ट्रेस	100 खेतों तक 8 पैसा प्रत्येक खेत तथा 100 खेतों से ऊपर 2 पैसे प्रति खेत परन्तु न्यूनतम देय राशि 24 पैसा होगी। (ट्रेर्सिंग कपड़े की कीमत इस शुल्क के अलावा ली जायेगी।)

जिस अभिलेख का शुल्क ऊपर वर्णित नहीं है उसकी प्रतिलिपि फीस वही होगी जो खसरा के लिये निर्धारित है। अध्यक्ष द्वारा वसूल की गई राशि में से 1/4 राशि छपे हुए प्रपत्रों की कीमत पेटे अध्यक्ष राज्य कोष में जमा करायेगा तथा 3/4 राशि नकल शुल्क के रूप में ग्राम सभा को प्राप्त होगी।

(iv) अध्यक्ष राजकीय विभाग के किसी कर्मचारी को अपने अभिलेख अपनी उपस्थिति में निरीक्षण करने देगा तथा यदि वह उससे सम्बन्धित प्रति लेना चाहे तो यदि वे कार्यालय प्रयोजनार्थ हो तो प्रतिलिपि निःशुल्क देने की व्यवस्था करेगा।

14. अध्यक्ष को हटाया जाना :—(1) यदि यह पाया जाय कि अध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों का और कृत्यों का पालन पूरी तरह नहीं करता है या अधिनियम द्वारा उसे प्रदान की हुई शक्तियों का (xxx) दुरुपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम सभा के सदस्यों का उसमें विश्वास नहीं रहा है, तो अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव निम्नलिखित उप-नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) प्रस्ताव रखने के आशय का एक लिखित नोटिस, जिस पर कार्यपालिका के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 के हस्ताक्षर हों,

* अधिसूचना संख्या पं. 6(41) राजस्व/ग्रुप 4/76, दिनांक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राजपत्र के भाग 4 (ग) (1) में दिनांक 8-1-1980 को पृष्ठ 1 से 5 पर 'भारी' विलोपित

नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष को दिया जायेगा और साथ ही एक प्रति ग्रामसभा के सचिव तथा ग्रामदान बोर्ड को दी जायेगी ।

(3) ग्रामदान बोर्ड तत्पश्चात् *(xxx) प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कार्य-पालिका की एक मीटिंग ग्राम सभा कार्यालय में ऐसी तारीख को, जो वह नियत करे और जो उस तारीख से जब कि उपनियम (2) के अधीन उसे नोटिस परिदत्त किया गया हो, तीस दिन से अधिक न हो, बुलायेगा और **(xxx) कार्यपालिका के सदस्यों को उक्त मीटिंग की सूचना मीटिंग की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व मुनादि द्वारा और ग्राम सभा के नोटिस-बोर्ड पर नोटिस चस्पा करके देगा ।

(4) उक्त मीटिंग का सभापति ग्रामदान बोर्ड का सभापति या उसका प्रतिनिधि होगा ।

(5) ज्योंही इस नियम के अधीन बुलाई हुई मीटिंग प्रारम्भ हो, सभापति या उसका प्रतिनिधि कार्यपालिका को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनाएगा कि जिस पर विचार करने के लिए मीटिंग बुलाई गई हो, और यह घोषित करेगा कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद प्रारम्भ किया जाना चाहिए । यदि उपस्थित सदस्यों में से तीस प्रतिशत सदस्य यह इच्छा प्रकट करें कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद किया जाना चाहिए तो उस पर वाद-विवाद होगा अन्यथा प्रस्ताव स्वतः ही गिरा हुआ समझा जायेगा ।

(6) वाद-विवाद होने की दशा में उसकी समाप्ति पर, अथवा मीटिंग प्रारंभ होने से 2 घंटे व्यतीत होने पर जो भी पहिले हो प्रस्ताव पर मत लिए जावेंगे और यदि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में से 60 प्रतिशत सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत प्रकट करें तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ समझा जायेगा ।

(7) सभापति या उसका प्रतिनिधि ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर उक्त तथ्य का एक नोटिस चस्पा करके तथा ग्रामदान गांव में मुनादि के जरिये प्रकाशित करवायेगा ।

(8) ग्राम सभा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस के चस्पा किये जाने की तारीख से अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं रहेगा और वह उस पद को खाली कर देगा तथा कार्यभार कार्यपालिका समिति के सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य को जिसे सभापति अथवा उसका प्रतिनिधि मनोनीत करे सौंप देगा ।

---

* उपरोक्तानुसार (क) विलोपित ।

** अधिसूचना संख्या प. 6(41) राजस्व/ग्रुप-4/76, दिनांक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र के भाग 4 (ग) (1) में दिनांक 8-1-1980 को पृष्ठ 2 से 5 पर विलोपित ।

www.vinoba.in

(9) इस प्रकार मनोनीत सदस्य उस समय तक कार्यभार संभाले रहेगा जब तक कि नियम *(12) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा लिया जावे । नया अध्यक्ष हटाए गये अध्यक्ष की कार्यकाल की शेष अवधि तक पद-धारण करेगा ।

15. कार्यपालिका समिति के सदस्यों की कालावधि :—कार्यपालिका समिति के सदस्यों-अध्यक्ष सहित-की कार्यकाल अवधि तीन वर्ष होगी :

परन्तु शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद को **(क्रमागत) दो कार्यकालों से अधिक समय तक धारण नहीं करेगा ।

16. कार्यपालिका समिति के कृत्य, कर्त्तव्य तथा शक्तियां :—किसी ग्राम सभा की कार्यपालिका समिति इस अधिनियम के अधीन अथवा एतद्द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा समस्त ऐसे कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का, जो उसे सौंपे जायं, पालन करेगी ।

(2) विशेषतः कार्यपालिका समिति :—

(1) अध्यक्ष की उसके कर्त्तव्यों का पालन करने में सहायता करेगी,

(2) ग्राम सभा की आज्ञाओं को निष्पादित करेगी,

(3) ग्राम सभा का लेखा ठीक-ठाक रखेगी,

(4) निधियां उगाहेगी तथा विनियोजित करेगी,

(5) अधिनियम की धारा 35 तथा नियम 23 के प्रावधानों के अधीन रुपया उधार लेगी,

(6) ग्राम सभा की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत किए जाने के लिए निम्नलिखित विवरण तैयार करेगी–

(क) कार्य की वार्षिक रिपोर्ट तथा

(ख) वार्षिक लेखा विवरण ।

(7) ऐसे लेखे सम्बन्धी विवरण, जो लेखा परीक्षा (ऑडिट्स) के समय अपेक्षित हों, तैयार करेगी और उन्हें लेखा-परीक्षकों के समक्ष रखेगी,

(8) अध्यक्ष को ग्राम सभा की सामान्य तथा वार्षिक बैठकें ठीक समय पर बुलाए जाने में सलाह देगी

(9) इस बात पर निगाह रखेगी कि ऋण तथा अग्रिम ऐसे प्रयोजनों के लिए उचित रूप से काम लिए जाते हैं, जिनके लिए कि वे दिए जाएं ।

---

* 3.1.80 की अधिसूचनानुसार (13) के स्थान पर (12) प्रतिस्थापित

** अधिसूचना संख्या प. 6 (41) राजस्व/ग्रुप 4/76, दिनांक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र के भाग 4(ग) (1) में दिनाँक 8-1-1980 को पृष्ठ 1 से 5

www.vinoba.in

(10) राजस्व, लगान, उपकर तथा कर और ऋणों तथा अग्रिमों की किस्तों या राशियों के समस्त बकाया की जाँच करेगी तथा उनकी वसूली के लिए तत्काल कार्यवाही करेगी,

(11) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन अनुमत्य ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो ग्राम सभा द्वारा उसे सौंपे जायं ।

17. आकस्मिक रिक्त स्थान का भरा जाना :—कार्यपालिका समिति में जिसमें अध्यक्ष का पद शामिल है, होने वाली आकस्मिक रिक्त जगह निर्वाचन द्वारा नियम 12 में प्रावधिक तरीके से भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी की अवधि में से शेष अवधि तक पद धारण करेगा ।

18. ग्राम सभा के कारबार का संचालन :—ग्राम सभा अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के पालन में जहां तक व्यवहार्य हो, सर्व सम्मति या करीब सर्व सम्मति के आधार पर कार्य करेगी ।

स्पष्टीकरण :—यदि ग्राम सभा के समस्त सदस्य जो उपस्थित हों, तथा मत दें, किसी प्रस्ताव के पक्ष में हों या उनमें से कोई भी प्रस्ताव के विरुद्ध आपत्ति न उठायें तो, ऐसा प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हुआ समझा जायेगा । यदि नब्बे प्रतिशत सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों तो प्रस्ताव करीब करीब सर्वसम्मति या सर्वानुमति से पारित हुआ समझा जायेगा ।

19. ग्राम सभा के अन्य कृत्य :—ग्राम सभा *(ग्रामदान अधिनियम के अध्याय 5) में उल्लेखित कर्त्तव्यों एवं कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों के लिए प्रभावोत्पादक कदम उठायेगी :—

(क) ग्रामदान गाँव की भूमि एवं उसके साधनों का अधिकतम (Optimum) उपयोग करने तथा उपज बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाना,

(ख) सिंचन कार्य का निर्माण, संधारण तथा विस्तार करना,

(ग) कृषित भूमियों का भू-संरक्षण करना,

(घ) ग्रामदान गांव के खाद साधनों का विकास करना,

(ङ) सुधरे हुए बीच तथा कृषि उपकरणों के क्रय, उपयोग तथा उत्पादन संबंधी उन्नति करना,

---

* अधिसूचना संख्या प. 6 (41) राजस्व/ग्रुप/4/76, दिनाँक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र के भाग 4 (ग) (1) में दिनांक 8-1-1980 को पृष्ठ 1 से 5 के अनुसार "अध्याय 5" के स्थान पर "ग्राम दान अधिनियम के अध्याय 5" प्रतिस्थापित ।

www.vinoba.in

(च) मवेशियों की अच्छी नस्ल का प्रचलन करना ।

20. वे सिद्धान्त जिनको भूमि आवंटन किये जाने में अनुसरण किया जाना है :—ग्रामदान गांव के निवासियों को व्यक्तिशः या संयुक्त रूप से खेती के लिए भूमि नीचे दी हुई शर्तों के अधीन आवंटित की जायेगी :—

(1) जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई हो उनसे लिया जाने वाले लगान की राशि किसी भी दशा में उन स्वीकृत लगान दरों से अधिक नहीं होगी, जो उक्त भूमि के लिए लागू हों ।

(2) जहां उक्त भूमि के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा लगान निश्चित न किये गये हों, उस दशा में वे लगान दरें ली जायेंगी जो कि विगत अंतिम बन्दोबस्त के दौरान में पड़ौस की वैसी ही भूमियों के लिए स्वीकृत हों, तथा

(3) वे भूमियों जिनके सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा नकदी लगान निश्चित किए गये है उन्हें जिन्सी लगान की भूमियों में परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

21. ग्रामसभा द्वारा भू-राजस्व की वसूली :—(1) जो भूमियां ग्रामदानी गांव में स्थित हों, और दान नहीं की गई हों, उनके सम्बन्ध में भू-राजस्व अन्य उपकर तथा स्थानीय एवं अन्य कर ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो उन्हें अदा करने को उत्तरदायी हों, ग्राम सभा को अदा किये जायेगा और ग्राम सभा उन्हें भू-अभिलेख प्रपत्र संख्या पी 33 में एक रसीद देगी और ग्राम सभा को किया गया भुगतान राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 226 तथा राजस्थान लैंड रेवेन्यू (पेमेंट क्रेडिट्स, रिफण्ड एवं रिकवरी) रूल्स, 1958 के अर्थ में वैध भुगतान होगा ।

(2) ग्रामसभा धारा 39 के अधीन वसूली की गई राशि को तहसील उप-कोषागार में अर्ज इरसाल (चालान) के जरिये जमा करने की व्यवस्था करेगी और राजस्थान लैंड रेवेन्यू (लैंड एण्ड रिकार्डस) रूल्स, 1957 नियम के 117 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(3) ग्राम सभा धारा 39 के अधीन प्रमाण-पत्र को जारी करने के पूर्व तहसीलदार को राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 229 तथा राजस्थान लैंड रेवेन्यू (पेमेन्ट, क्रेडिटस, रिफण्ड एवं रिकवरी) रूल्स 1958 के नियम 23 के अधीन मांग-पत्र (राइट ऑफ डिमान्ड) या उपस्थिति के लिये आदेश-पत्र (साइटेशन टू अपील) जारी करने के लिए लिखेगी और यदि दोषी व्यक्ति इन आदेशिकाओं के जारी किए जाने पर भी देय राशियां अदा करने से इंकार करे तो ग्राम सभा प्रमाण-पत्र जारी करेगी और धारा 39 के अधीन उक्त राशि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल करने के लिए कलेक्टर को लिखेगी ।

www.vinoba.in

22. **किसी आवंटिती की बेदखली के लिए आधार तथा तरीका :—** (1) कोई भी आवंटिती बेदखली किए जाने का भागी होगा, यदि वह :—

(क) बिना पर्याप्त कारण लगातार दो वर्ष की अवधि तक भूमि को स्वयं काश्त करने में असफल रहे, या

(ख) उक्त भूमि के बारे में देय लगान भुगातन में असफल रहे, या

(ग) भूमि काश्त करना बंद करदे और ग्राम सभा की इजाजत के बिना गांव छोड़ दे और यह समझा जाय कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 60 की उप-धारा (4) के अर्थ में उसने भूमि का परित्याग कर दिया है, या

(घ) अपना संपूर्ण भू-क्षेत्र (होल्डिंग) अथवा उसका कोई भाग हस्तांतरित कर दे या शिकमी किराये पर उठा दे या किसी अभिव्यक्त अथवा विवक्षित रूप से ऐसा कोई कार्य करने का दोषी हो जो भूमि के लिए हानिकारक हो अथवा उस प्रयोजन से, जिसके लिए कि भूमि आवंटित की गई हो, असंगत हो ।

(2) ऐसी दशा में जबकि कोई आवंटिती ऐसे कार्यों में से कोई करे, जिसके करने से वह बेदखल किए जाने का भागी हो जाय, तो बेदखल करने से पूर्व ग्राम सभा उसे एक नोटिस जारी करेगी और एक महीने के भीतर इसका कारण बताने को कहेगी कि उसे बेदखल क्यों न कर दिया जाय और यदि वह चाहे तो सुनवाई का अवसर देगी ।

23. **रुपया उधार लेने का तरीका तथा उसकी सीमा :—** * (1) ग्रामसभा किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो अधिनियम में उल्लेखित हैं, राज्य सरकार से या राजस्थान सैन्ट्रल लैण्ड मार्गेज बैंक या वाणिज्य बैंक या राजस्थान प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक या राजस्थान कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी से या किसी अन्य संस्था या बैंक से जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विज्ञापित की जाये, उधार ले सकेगी ।

(2) कोई भी ग्रामसभा एक बार में ऐसी राशि, जो ग्रामदान गांव की पांच साल की लगान आय (रेन्टल इन्कम) से अधिक हो, उधार नहीं लेगी और न ही ग्राम सभा का कुल दायित्व एक बार में दस साल की ऐसी आय से अधिक होगा ।

24. **राज्य सरकार की अनाधिमुक्त भूमियों के प्रबंध की कालावधि :—** ** धारा 31 (की) उप-धारा (2) में वाँछित कालावधि एक बार में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

---

* अधिसूचना संख्या प. 6(41) राजस्व/ग्रुप 4/76, दिनांक 3-1-1980 प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र के भाग 4 (ग) (1) में दिनांक 8-1-80 को पृष्ठ 1 से 5

** उपरोक्तानुसार की प्रतिस्थापित ।

www.vineba.in

25. ग्राम निधि की अभिरक्षा :—ग्राम निधि में प्राप्त समस्त राशियां ग्राम के समीपस्थ किसी अनुसूचित बैंक की शाखा में रखी जायेंगी ।

26. गाँव के किसी भाग का पृथक् गांव के रूप में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया :—(1) धारा 38 (1) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर जिलाधीश स्वयं अथवा अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा यह जानकारी लेगा कि :—

(क) पृथक् रजिस्ट्रेशन चाहने वाला गांव आबादी की दृष्टि से अधिनियम की शर्तों को पूरा करता है,

(ख) उस गांव से जिसने पृथकीकरण चाहा गया उसकी बसावट और कृषि इस प्रकार स्थित है कि जो उसके स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित होने के लिए जरूरी है ।

(2) उपरोक्त बातों में संतुष्ट होने पर जिलाधीश—

(क) उस गांव को राज-पत्र में विज्ञप्ति द्वारा अलग राजस्व गांव घोषित करेगा; तथा

(ख) मूल गांव की सामान्याधिकार की उतनी भूमि का जो उसके हिस्से में आती हो उस गांव के हित में इस प्रकार विभाजन करेगा कि जिससे वैसी भूमि उसको मिले कि जो उस गांव के क्षेत्र से लगी हुई हो ।

27. ग्राम सभा में निहित भूमियों का प्रबन्ध :—ग्रामदान गांव के निवासियों की खेती के लिये भूमि आवंटन करते समय ग्राम सभा यह ध्यान रखेगी कि—

(क) जहां तक संभव हो ग्रामदान गांव का कोई भी निवासी भूमिहीन न रहे ।

(ख) ग्रामदान गांव की मवेशियों की चराई के लिए, पर्याप्त क्षेत्र नियत कर दिये जायें ।

(ग) वनरोपण के लिए एक उपयुक्त भू-खण्ड नियत कर दिया जाए ।

(घ) सामुदायिक खेती के लिए नियत भूमि अनुमानत; यदि संभव हो तो, ग्रामदान गांव की खेतिहर भूमि का दस प्रतिशत होगी ।

और

(ङ) गांव की आबादी के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखी जाय ।

□□□

www.vinoba.in

परिशिष्ट

प्रपत्र "क"

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम सं. 12 सन् 1971 की धारा 8 (1) के अन्तर्गत घोषणा

1. मैं/हम ग्राम तहसील जिला के निवासी/निवासियों ने, जो अवयस्क नहीं हूं/हैं, आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाए ग्रामदान से ग्राम स्वराज्य आन्दोलन तथा उस हेतु बने राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (अधिनियम सं. 12, सन् 1971) के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बने राजस्थान ग्रामदान नियमों को समझ लिया है तथा एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं :—

(2) मैं/हम अपने देश से गरीबी, बेकारी, अज्ञान और झगड़ा मिटाने के लिये गांव के ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित होता हूं/होते हैं, जिसके सब बालिग मिलकर ग्राम सभा बनायेंगे। यह सभा सर्व सम्मिति से अथवा सर्वानुमति से काम करेगी। ग्राम सभा ग्रामदाता के नाते सबकी भलाई करेगी।

(3) मैं/हम इस गांव को अपनी कुल जमीन, जिसका ब्यौरा नीचे दिया है, ग्राम सभा को अंतरित करता हूं/करते हैं इस शर्त के साथ कि गाँव में एकता, प्रेम और भाईचारे के लिए उसमें से कम से कम 5 प्रतिशत जमीन ग्राम की ग्राम सभा भूमिहीनों को देगी अथवा ग्रामहित में उसका उपयोग करेगी तथा अन्तरित की हुई भूमि का अपनी पसंद का अधिकाधिक 19/20 वां रकबा ग्रामदान किसान के नाते मैं/हम धारण कर सकूंगा/सकेंगे और उस पर मेरा और हमारा और मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों का ग्रामदान किसान के नाते अधिकार रहेगा। लेकिन मैं/हम अपनी जमीन रहन-बे नहीं करूँगा/करेंगे। मजबूरी की हालत में ऐसा करना पड़े तो उसी गांव में अपने गांव की ग्राम सभा की स्वीकृति से रहन-बे करूंगा/करेंगे।

(4) गाँव की पैदावार बढ़ाने, बे-सहारा लोगों को मदद देने, गांव में उद्योग धन्धे खड़े करने जैसे कामों के लिए ग्रामदान किसान की हैसियत से मैं/हम अपनी उपज का 40वां अंश या जो भी अंश ग्राम सभा सर्व सम्मति से तय करे प्रति वर्ष ग्रामनिधि में दूंगा/देंगे।

भूमि धारक का नाम	आयु	पिता का नाम	कुल भूमि		किस हैसियत से काबिज है	सही या अंगूठा	तारीख एवं स्थान	साख
			रकबा	खसरा नं.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.vinoba.in

प्रपत्र ''ख''

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम संख्या 12, सन् 1971 की धारा 9(1) के अन्तर्गत घोषणा

भूमिधारकों के अलावा परिवार के मुखियाओं के लिए

1. मैं/हम ग्राम तहसील जिला के निवासी/निवासियों ने, जो अवयस्क नहीं हूं/हैं, आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाए ग्रामदान से ग्राम स्वराज्य आन्दोलन तथा उस हेतु बने राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (अधिनियम सं. 12 सन्, 1971) के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बने राजस्थान ग्रामदान नियमों को समझ लिया है तथा एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं :—

2. मैं/हम गांव से गरीबी, बेकारी, अज्ञान और झगड़ा मिटाने के लिए गांव के ग्रामदान समुदाय में सम्मिलित होता हूं/होते है, जिसके सब बालिग मिलकर ग्राम सभा बनायेंगे। यह सभा सर्व सम्मति अथवा सर्वानुमति से काम करेगी। ग्राम सभा ग्राम माता के नाते सबकी भलाई करेगी।

3. गांव की पैदावार बढ़ाने, बेसहारा लोगों को मदद देने, गांव में उद्योग धन्धे खड़े करने जैसे कामों के लिए मैं/हम अपनी आय का 40वां बाग या जो भी ग्राम सभा सर्व सम्मति से तय करे प्रति वर्ष ग्राम निधि में दूंगा/देंगे।

परिवार के मुखिया का नाम	पिता का नाम	आयु	पेशा	हस्ताक्षर	तारीख एवं स्थान	साख
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र 'ग-1'

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम संख्या 12, सन् 1971 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत प्रकाशित

चूंकि इन भूमिधारकों ने जिनके नाम नीचे दिए हैं राजस्थान ग्रामदान अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रपत्र 'क' में घोषणा-पत्र, कि हम अपने ग्राम के ग्रामदान समुदाय में भाग लेते हैं, दायर करते हुए निम्न करार किया है :—

''कि हम अपने गांव में स्थित अपनी कुल जमीन, जिसका ब्यौरा नीचे दिया है, ग्राम सभा को अन्तरित करते हैं तथा अन्तरित की हुई भूमि का अपनी पसन्द का अधिकाधिक 19/20 वां भाग ग्रामदान किसान के नाते हम रखेंगे। उस पर हमारा/हमारे उत्तराधिरियों का ग्रामदान किसान के नाते अधिकार रहेगा।

www.vinoba.in

उसको हम रहन-बे नहीं करेंगे । मजबूरी की हालत में करना पड़े तो ग्रामसभा की स्वीकृति से उसी गांव में ग्रामदान में शरीक होने वाले भाई को करेंगे । शेष भूमि का कम से कम1/20वां भाग ग्राम सभा के लिए छोड़ेंगे जिसको वह भूमिहीनों को देगी अथवा ग्रामहित में उपयोग करेगी ।"

"कि हम अपनी उपज का 1/40 वाँ भाग या जो भी अंश ग्राम सभा सर्व सम्मति से तय करे ग्राम सभा की ग्रामनिधि में देंगे ।"

अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन आवश्यक जाँच के बाद इन घोषणा-पत्रों की पुष्टि करता हूं और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस पुष्टि से परिवेदित व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर यदि किसी को आपत्ति हो तो उक्त पुष्टि के विरुद्ध अपील अपने जिलाधीश को लिखकर दें ।

मुहर	भूमिधारकों का नाम	भूमि का ब्यौरा	
		रकबा	खसरा

मेरे हस्ताक्षर तथा राजस्थान ग्रामदान बोर्ड की मुहर के साथ आज दिनाँक सन् 19 को दिया गया ।

सभापति

प्रपत्र 'ग'-2

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम संख्या 12, सन् 1971 कि धारा 10 (1) के अन्तर्गत प्रकाशित

चूंकि परिवार के मुखियाओं ने जिनके नाम नीचे दिये गये हैं राजस्थान ग्रामदान अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रपत्र 'ख' में घोषणा-पत्र दायर करते हुए निम्न करार किया है :—

"कि हम अपने गांव के ग्रामदान समुदाय में शामिल होते हैं ।"

"कि हम अपनी आय का 1/40वां भाग या जो भी ग्राम सभा सर्व सम्मति से तय करे प्रति वर्ष ग्राम निधि में देंगे"

अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 10 (1) के अधीन आवश्यक जाँच के बाद इन घोषणाओं की पुष्टि करता हूं और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस पुष्टि से परिवेदित व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त पुष्टि के विरुद्ध यदि किसी को आपत्ति हो तो अपील अपने जिलाधीश को लिखकर दें ।

www.vinoba.in

क्रमांक	परिवार के मुखिया का नाम

मेरे हस्ताक्षर तथा राजस्थान ग्रामदान बोर्ड की मुहर के साथ आज दिनांक सन् 19 को किया गया है।

सभापति

प्रपत्र "घ"

(देखिये नियम 11)

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम संख्या 12, सन् 1971 की धारा 11 के अन्तर्गत विज्ञप्ति

चूंकि मैं (नाम क्लेक्टर) जिला निर्धारित प्राधिकारी होने के कारण, आवश्यक जांच करने के पश्चात् आश्वस्त हो गया हूं कि राजस्थान ग्रामदान अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 12, सन् 1971 की धारा 11 की उप-धारा (1) में वर्णित शर्तें पूरी कर दी गई हैं।

अतः मैं एतद्द्वारा इस तहसील के गांव को दिनाँक से ग्रामदान गाँव घोषित करता हूं।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर सहित आज दिनांक सन् 19 को जारी की गई।

हस्ताक्षर क्लेक्टर

न्यायालय की मुहर जिला

www.vinoba.in

ग्रामदान से ग्रामस्वराज्य

ग्रामदान के बाद सबसे पहले सर्वानुमति से ग्रामसभा बनाना, फिर भूमिहीनों को जमीन बांटना, जिससे कि भूमिहीनों को साक्षात अनुभव हो जाये कि कुछ काम हो रहा है। ग्रामकोष बनाना और आमदनी का 40वां हिस्सा गांव के विकास के लिये ग्रामकोष में देना। दूसरा कदम जो न्यूनतम माना है, वह है व्यसन-मुक्ति, पुलिस-मुक्ति और अदालत-मुक्ति।

— विनोबा

www.vinoba.in